


Rajeev Bansal's


SBPD

अप्रत्यक्ष कर INDIRECT TAX




MAKING EDUCATION AFFORDABLE DIGITALLY


SAVE MONEY AND PLANET BUY eBook




उपरोक्त QR Code Scan करके हमारी वेबसाइट www.sbpdpublishations.com पर जाएँ।




(A) यदि आप नए User हैं तो Register करें।
(B) यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो Login करें।



eBook के Menu Option या Search Button पर अपनी eBook को Search करें।



eBook खरीदने के लिए Add to Cart या Buy Now पर क्लिक करें और Checkout करें।



अब आप Go to Library या Manage My Library Click करें। अब आप अपनी eBook e-Library में पढ़ सकते हैं।

English Edition of this Book is also Available

Book Code : 6442

© प्रकाशक

ISBN : 978-93-5167-931-8

कीमत : दो सौ पचास रुपया मात्र (₹ 250.00)

No part of this publication can be reproduced or copied in any form or by any means without permission in writing by the Publisher. Breach of this condition is liable for legal action.

Note: This publication is being sold on the condition and understanding that the information, comments and views it contains are merely for guidance and reference and must not be taken as having the authority of, or being binding in any way on, the author, editors, publisher and sellers, who do not owe any responsibility whatsoever for any loss, damage or distress to any person, whether or not a purchaser of this publication, on account of any action taken or not taken on the basis of this publication. Despite all the care taken, errors or omissions may have crept inadvertently into this publication.

All disputes are subject to the jurisdiction of competent courts in Agra.

एस बी पी डी पब्लिकेशन्स

3/20B, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा-282002

दूरभाष : (0562) 2854327, 2527707, 2858183, 4042977, 4304545 मोबाइल : 09358177555,

09412258082-85; e-mail : sbpd.publications@gmail.com; website : www.sbpdpublishations.com



Syllabus

Indirect Taxes

Objective : To provide basic knowledge and equip students with applications of principles and provisions of Service Tax, VAT, Central Excise and Custom Law.

Contents :

Unit I: Service Tax

Service Tax : Concepts and General Principles, Charge of Service Tax and Taxable Services, Valuation of Taxable Services, Payment of Service Tax and Filing of Returns, Penalties, CENVAT Credit.

Unit II: VAT

VAT : Concepts and General Principles, Calculation of VAT Liabilities including Input Tax Credits, Small Dealers and Composition Scheme, VAT Procedures.

Unit III: Central Excise

Central Excise Law in Brief : Goods, Excisable Goods, Manufacture and Manufacturer, Valuation, CENVAT, Basic Procedures, Export, SSI, Job Work.

Unit IV: Customs Law

Basic Concepts of Custom Law, Territorial Waters, High Seas, Types of Custom Duties—Basic, Countervailing & Anti-Dumping Duty, Safeguard Duty, Valuation, Custom Procedures, Import and Export Procedures, Baggage, Exemption.

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

इकाई-I : सेवा कर (Service Tax)

1. सेवा कर—विचारधारा एवं सामान्य सिद्धान्त 1—9
[Service Tax : Concepts and General Principles]
2. कराधान बिन्दु अधिनियम, 2011 10—13
[Point of Taxation Rules, 2011]
3. सेवा प्रदान करने का स्थान 14—17
[Place of Provision of Service]
4. वृहद् विमुक्तियाँ और अन्य छूट 18—22
[Mega Exemptions and Other Exemptions]
5. सेवा कर सम्बन्धी प्रावधान या सेवा कर का भुगतान 23—29
[Provisions of Service Tax or Payment of Service Tax]
6. करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन 30—40
[Valuation of Taxable Services]
7. कर-निर्धारण विधि 41—44
[Assessment Procedure]
8. सेवा कर अपील, वापसी एवं अर्थदण्ड 45—48
[Service Tax Appeal, Refund and Penalties]
9. सेनवैट क्रेडिट 49—52
[Cenvat Credit]

इकाई-II : मूल्य वर्धित कर (Value Added Tax)

1. मूल्य वर्धित कर—विचारधारा एवं सामान्य सिद्धान्त 1—7
[VAT-Concepts and General Principles]
2. मूल्य वर्धित कर का दायित्व 8—15
[VAT Liabilities]
3. प्रशासनिक प्रक्रियाएँ 16—18
[Administrative Procedures]
4. मूल्य वर्धित कर पदाधिकारी—अधिकार एवं कर्तव्य 19—22
[Value Added Tax Authorities—Power and Duties]
5. अपील, पुनर्विचार, अर्थदण्ड एवं अभियोग 23—28
[Appeal, Revision, Penalties and Prosecutions]
6. आगत कर छूट 29—32
[Input Tax Credit]

इकाई-III : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty)

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अवधारणा एवं अधिनियम 1—7
[Concept of Central Excise Duty and Law]
2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ—माल व उत्पाद कर-योग्य माल 8—11
(वित्त विधेयक, 2006 के संशोधन के आधार पर)
[Important Definitions : Goods and Excisable Goods (As Amended by Finance Bill, 2006)]

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
3. माल का वर्गीकरण व वर्गीकरण के सिद्धान्त [Classification of Goods and Principles of Classification]	12—18
4. शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन [Valuation of Excisable Goods]	19—28
5. सेनवेट : केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर [Cenvat : Central Value Added Tax]	29—43
6. मूल्यानुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की गणना [Computation of Advalorem Duty]	44—76
7. लघु उद्योगों को उत्पाद-शुल्क की छूट [Excise Exemption to Small-Scale Industries]	77—81
8. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का प्रशासनिक ढाँचा [Administrative Set-up of Central Excise Duty]	82—84
9. अपराध, अर्थदण्ड एवं सजाएँ [Offences, Penalties and Punishments]	85—90
10. मामलों का निपटारा [Settlement of Cases]	91—95
11. अपील एवं पुनर्विचार [Appeal and Revision]	96—104

इकाई-IV : सीमा शुल्क अधिनियम (Custom Law)

1. सीमा शुल्क की प्रकृति एवं प्रकार [Nature and Types of Custom Duty]	1—8
2. सीमा शुल्क के अन्तर्गत मूल्यांकन नियम [Valuation Rules Under Custom Duty]	9—16
3. सीमा शुल्क की गणना एवं प्रक्रिया [Computation and Procedure of Custom Duty]	17—47
4. आयात-निर्यात प्रक्रिया/गतिविधि [Import and Export Procedure]	48—60
5. निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ-निर्यातक प्रेरक इकाइयाँ [Export Promotion Scheme-Export Oriented Units]	61—64
6. निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र [Export Processing Zones]	65—67
7. विशेष आर्थिक क्षेत्र [Special Economic Zone]	68—71
8. आयात एवं निर्यात सम्बन्धी वाहन [Conveyance Related to Import and Export]	72—74
9. सीमा शुल्क अधिकारी [Custom Authorities]	75—79

1

सेवा कर—विचारधारा एवं सामान्य सिद्धान्त

[SERVICE TAX : CONCEPTS AND
GENERAL PRINCIPLES]

भारत में सेवा कर

(SERVICE TAX IN INDIA)

प्रारम्भिक : सेवाओं के प्रदान करने पर जो कर लगाया जाए उसे सेवा कर कहा जाता है। सेवा कर, सेवाओं पर लगाया गया कर है, जो व्यवसाय व पेशे के अन्तर्गत लगाया जाता है। यह उस समय उदित होता है जब सेवा प्रदान की गयी हो, सेवा क्षेत्र अब किसी भी अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु बन गया है। गत वर्षों में सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में अंश पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। सेवा क्षेत्र का भारत में सकल घरेलू उत्पादन में 70% के लगभग योगदान है।

भारत में सेवा कर सर्वप्रथम 1994 में प्रारम्भ हुआ। सेवा कर को वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अन्तर्गत लगाया गया। 1994-45 के बाद वित्त अधिनियम ने सेवा कर के उद्देश्य के लिए अधिक से अधिक सेवाओं को जोड़ा है। 30-6-2012 तक सेवा कर के लिए 119 सेवाएँ करयोग्य थीं। सेवा कर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 1.4.2001 से करदाता द्वारा स्वयं कर निर्धारण के आधार पर विवरण दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। सेवा कर का विवरणी अर्द्धवार्षिक आधार पर जमा करना होता है।

वर्तमान में सभी प्रकार की सेवाओं को करयोग्य कर दिया गया है किन्तु नकारात्मक सूची में वर्णित एवं कर मुक्त घोषित सेवाओं पर सेवा कर नहीं लगाया जायेगा।

सेवाओं पर कराधान की आवश्यकता

(NEED FOR TAXATION OF SERVICES)

सेवाओं पर कराधान लगाने का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण केन्द्र एवं राज्य स्तर पर घरेलू व्यापार करों की सामंजस्य व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि कराधान के उद्देश्य के लिए सेवाओं एवं वस्तुओं के उपयोग को एक जैसा मानना चाहिए। इस पर विचार करते हुए 18 वर्षों से अधिक पूर्व से भारत में सेवा कर लगाया गया है।

संवैधानिक भूमिका

(CONSTITUTIONAL BACKGROUND)

संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के कर को न ही लगाया जा सकता है और न ही संग्रहीत किया जा सकता है जब तक कि वह विधान द्वारा अधिकृत न हो। संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत यह अधिकार निम्न तीन सूचियों में दिया गया है—

1. **केन्द्रीय सूची या संघ सूची (Union List)**—इसके अन्तर्गत केवल केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त हैं।
2. **राज्य या प्रदेश सूची (State List)**—इसके अन्तर्गत केवल राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हैं।
3. **समवर्ती सूची (Concurrent List)**—इसके अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार दोनों को अधिकार प्राप्त हैं।

सरकार ने संविधान (88वाँ संशोधन अधिनियम, 2003) को पारित किया जो संविधान में अनुच्छेद 268A के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को सेवा कर औपचारिक रूप से लगाने का अधिकार प्रदान करता है।

268A(1) सेवाओं पर कर को भारत सरकार द्वारा लगाया जायेगा तथा भारत सरकार तथा राज्य द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित किया जायेगा।

अनुच्छेद 268A के अतिरिक्त VIIवीं अनुसूची की प्रथम सूची में 92C को जोड़ा गया है। जिससे अधिनियम को संघ सूची की विषय सूची बनायी जा सके।


* सरकार ने संशोधन करके 92C को जोड़ दिया है परन्तु इसके लिए कोई भी पृथक अधिनियम पारित नहीं किया गया है। सेवा कर वर्तमान में भी प्रविष्टि 97 द्वारा शासित होता है।

सेवा की अवधारणा

(CONCEPT OF SERVICE)

वित्त अधिनियम, 1994 में सेवा की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, परन्तु वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप एक नई धारा 65B जोड़ी गई है।

सेवा का आशय (Concept of Service) धारा 65B (44)—सेवा से आशय किसी व्यक्ति द्वारा घोषित सेवाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी गतिविधि से है। परन्तु निम्न शामिल नहीं हैं—

सेवा में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है

- (a) एक गतिविधि जिसमें केवल गठित है—
- किसी माल या अचल सम्पत्ति की बिक्री, भेंट या अन्य प्रकार से स्वामित्व का अन्तरण,
 - मुद्रा या कार्यवाही योग्य दावे में लेनदेन या व्यवहार।
- (b) रोजगार के अन्तर्गत या रोजगार के सम्बन्ध में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दी गई सेवाएँ,
- (c) समय के प्रभाव में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा ली गई फीस, इस वाक्य में वर्णित कोई प्रावधान निम्न पर लागू नहीं होंगे—
- सांसद विधायक, पंचायत सदस्य, नगरपालिका सदस्य तथा अन्य स्थानीय सत्ताओं के सदस्य द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य,
 - संवैधानिक पद को धारित करने वाले व्यक्ति के द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान की गई सेवाएँ,
 - व्यक्ति (जिसको कर्मचारी नहीं माना गया हो) के द्वारा सम्पन्न कर्तव्य।

घोषित सेवाएँ

(DECLARED SERVICE)

[धारा 65 (22)]

धारा 66E के अन्तर्गत घोषित सेवाएँ निम्नलिखित हैं—

- अचल सम्पत्ति को किराये पर देना,
- किसी परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके भाग का निर्माण जिसमें शामिल हैं—ऐसा परिसर, भवन जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से किसी क्रेता को विक्रय करने का अभिप्राय है, सिवाय उस स्थिति में जहाँ समस्त प्रतिफल को सक्षम प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् प्राप्त किया,
- किसी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार का उपयोग का अस्थायी अन्तरण या अनुमति,
- सूचना प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन एवं अभिवृद्धि सम्बन्धी सेवाएँ,
- कार्य से बचने के दायित्व से सहमत होना या स्थिति को सहन करना या कार्य करना,
- टेके के निष्पादन में सेवा भाग,
- किराया क्रय पद्धति या किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत वस्तु की सुपुर्दगी सम्बन्धी सेवाएँ,
- वस्तुओं को किराये पर देकर पट्टा, लाइसेंसिंग या अन्य प्रकार से ऐसा अन्तरण जिसमें वस्तु के उपयोग के अधिकार का अन्तरण शामिल न हो,
- भोजन पदार्थ या मानव उपभोग की किसी अन्य वस्तु अथवा कोई पेय (चाहे मादक हो या नहीं) को किसी प्रकार की आपूर्ति।

सेवा कर की विशेषताएँ

(FEATURES OF SERVICE TAX)

सेवा कर की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है,
- सेवा कर अप्रत्यक्ष कर के स्वरूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है,
- सेवा कर दी गई या दी जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाता है,
- सेवा के सकल मूल्य पर कर देयता बिन्दु के निर्धारण के अनुसार सेवा कर देय होता है,

5. केवल कर योग्य क्षेत्र में लागू अर्थात् सेवा कर जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है,
6. सेवा कर के लिये कोई पृथक् अधिनियम नहीं है,
7. इसका संचालन तथा प्रशासन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा किया जाता है,
8. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इकाई सेवा कर से मुक्त है,
9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त एवं प्रदाननीय सेवाएँ सेवा कर से मुक्त हैं,
10. सेवा कर तभी लगता है जब कम से कम दो पक्षकार हों (सेवा प्रदाता एवं सेवा गृहीता),
11. यदि कोई लेन-देन विक्रय का लेन-देन है अर्थात् जिस पर वैट लगता है तो सेवा कर नहीं लगेगा,
12. लघु सेवा प्रदानकर्ता सेवाकर से मुक्त है। (न्यूनतम सीमा ₹ 10 लाख),
13. नकारात्मक सूची या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर मुक्त सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाएँ कर योग्य हैं,
14. सेवा कर के प्रावधान निम्न हैं—
 - (a) पंजीयन,
 - (b) स्वयं निर्धारण,
 - (c) विवरणी दाखिल करना,
 - (d) सुधार,
 - (e) पुनरीक्षण,
 - (f) अपील,
 - (g) अर्थदण्ड आदि।

सेवा कर की प्रकृति

(NATURE OF SERVICE TAX)

सेवा कर सेवाओं पर लगाया जाता है। यदि कोई सेवा नहीं तो कोई सेवा कर नहीं है। वित्त अधिनियम, 1994 धारा 65B की उपधारा 44 में बताया गया है कि सेवा कर का भुगतान सेवा देने वाले द्वारा किया जाता है तथा सेवा प्राप्त करने वाले से वसूला जाता है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66B सेवा कर प्रभार की धारा है। जिसमें बताया गया है कि सभी सेवाओं पर 14% (1.6.2015 से) तथा 15% (1.6.2016) (केवल नकारात्मक सूची तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित सेवाओं को छोड़कर) से लगाया गया है।

सेवाकर में निम्नलिखित दो बातों पर ध्यान दिया जाता है—

- (अ) कर योग्य सेवा का मूल्य,
- (ब) सेवा की करदेयता

सेवा कर की विस्तृत या चयनित अप्रोच

(SELECTIVE OR COMPREHENSIVE APPROACH OF SERVICE TAX)

सेवा कर शुल्क निम्न में से किसी एक पर आधारित होता है—

- (1) **चयनित अप्रोच (Selective Approach)**—चयनित अप्रोच में केवल चयनित सेवाओं पर ही कर लगाया जाता है। इस अप्रोच में करयोग्य सेवाओं की सूची बनाने का प्रयास किया जाता है तथा सेवा के कवरेज का क्षेत्र भी निर्धारित किया जाता है।
 - (2) **विस्तृत अप्रोच (Comprehensive Approach)**—विस्तृत अप्रोच में सभी सेवाओं पर कराधान होता है तथा करमुक्त रहने वाली सेवाओं की नकारात्मक सूची बनायी जाती है। यह अप्रोच कई विकसित राष्ट्रों में प्रचलित है इस अप्रोच में सेवा की सही एवं स्पष्ट व्याख्या होना आवश्यक है क्योंकि कई प्रकार की सेवाएँ जैसे विज्ञापन, सम्पत्ति सम्बन्धी आदि राज्य की विषय वस्तु होती हैं।
- 1 जुलाई 2012 से भारत चयनित अप्रोच के स्थान पर विस्तृत अप्रोच को अपनाने लगा है। इसलिए सभी सेवाएँ करयोग्य होंगी सिवाय निम्न को छोड़कर—

- (i) नकारात्मक सूची,
- (ii) सामूहिक (मेगा) विमुक्ति अधिसूचना।

सेवाओं की नकारात्मक सूची

[धारा 66 D]

(NEGATIVE LIST OF SERVICES)

निम्नलिखित सेवाएँ नकारात्मक सूची में शामिल हैं जिन पर सेवा कर नहीं लगाया जायेगा—

- (A) **सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा प्रदान सेवाएँ**—केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता द्वारा प्रदान सेवाएँ कर मुक्त हैं। जबकि एक राज्य या स्थानीय सत्ता द्वारा प्रदान अग्र सेवाएँ करयोग्य होंगी—

- (i) डाक विभाग द्वारा प्रदान सेवाएँ—स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल सेवा, जीवन बीमा तथा ऐजेंसी सेवाएँ (जो किसी) व्यक्ति को दी जाती हैं,
- (ii) किसी बन्दरगाह या एअरपोर्ट परिसर के अन्दर या बाहर प्रदान सेवाएँ,
- (iii) माल परिवहन या यात्री परिवहन,
- (iv) उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त व्यावसायिक इकाई को प्रदान सहायक सेवाएँ।
- (B) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान सेवाएँ,
- (C) भारत में स्थिति विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा प्रदान सेवाएँ,
- (D) कृषि से सम्बन्धित सेवाएँ—
- (i) कृषि श्रमिकों की पूर्ति
- (ii) कृषि विस्तार सेवा
- (iii) कृषि उत्पाद के लदान, उतराई, पैकिंग, भण्डार आदि।
- (iv) कृषि उत्पाद के क्रय विक्रय में, सम्बन्ध में कमीशन एजेंट की सेवाएँ या कृषि विपणन समिति या बोर्ड द्वारा प्रदान सेवाएँ,
- (v) कृषि उत्पाद के उत्पादन से सम्बन्धित प्रत्यक्ष कृषि परिचालन सेवाएँ (जिसमें, जुताई, कटाई, आदि शामिल हैं),
- (vi) ऐसी प्रक्रियाएँ जिससे कृषि उत्पाद की मूल विशेषता में परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योग्य बनाता है। (कटाई, सुखाई, छंटाई, बुवाई, कूलिंग आदि शामिल हैं),
- (vii) कृषि मशीन एवं खाली भूमि को उपयोग करने सहित या बिना किराये पर या पट्टा।
- (E) माल या वस्तु का विक्रय,
- (F) माल या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करने की प्रक्रिया,
- (G) प्रिंट मीडिया को स्पेस की बिक्री करयोग्य नहीं होगी,
- (H) शर्त, जुआ तथा लॉटरी की क्रियाएँ,
- (I) टोल प्रभार के भुगतान पर सड़क या पुल के द्वारा प्रदान सेवा,
- (J) मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सुविधाओं में प्रवेश,
- (K) विद्युत संचारण एवं वितरण,
- (L) मकान को रहने के लिए किराये पर देना,
- (M) वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान सेवाएँ—
- (i) ब्याज या बट्टे के अन्तर्गत जमा, ऋण तथा अग्रिम देना,
- (ii) बैंकों के मध्य विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के लेन-देन या अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर्स एवं बैंकों के बीच लेन-देन।
- (N) यात्रियों के परिवहन सम्बन्धी सेवा—
- (i) मेट्रो, मोनोरेल या ट्राम,
- (ii) अन्तर्राज्यीय जलमार्ग सेवा,
- (iii) 15 टन से कम जहाज में पर्यटन उद्देश्य के लिए सार्वजनिक परिवहन,
- (iv) ऑटो रिक्शा, मीटर वाली कार, रेडियो टैक्सी,
- (v) रेलवे सेवाएँ (प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित कोच को छोड़कर)।
- (O) माल परिवहन के सम्बन्ध में सेवाएँ—
- (i) अन्तर्राज्यीय जलमार्ग सेवा,
- (ii) सड़क द्वारा (कोरियर सेवा तथा माल परिवहन एजेंसी को छोड़कर),
- (iii) भारत के बाहर से भारत में उतरने का प्रथम कस्टम स्टेशन तक एक हवाई जहाज या जहाज के द्वारा।
- (P) शिक्षा से सम्बन्धित सेवा—
- (i) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष,

- (ii) अनुमोदित वृत्ति कोर्स के भाग के रूप में शिक्षा,
 (iii) समय के प्रभाव में किसी कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा।
 (Q) शव दाह संस्कार, शव गृह सम्बन्धी सेवाएँ (शवयात्रा सहित)।


सेवा कर कानून लागू होना
 (APPLICABILITY OF SERVICE TAX)

सेवा कर से सम्बन्धित कानून वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। जम्मू एवं कश्मीर में प्रदान की गई सेवाएँ, सेवा कर से मुक्त रहेंगी।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66C केन्द्रीय सरकार को स्थान का निर्धारण करने के लिए नियम निर्धारित करती है जहाँ सेवा प्रदान की गई है या प्रदाननीय माना है। केन्द्रीय सरकार ने सेवा का प्रावधान का स्थान नियम, 2012 को अधिसूचित किया है।

सेवा कर सम्बन्धित कानून
 (LAW RELATING TO SERVICE TAX)

सेवा कर भारत में 1994 में लागू किया गया परन्तु अभी तक सेवा कर के सम्बन्ध में कोई अधिनियम नहीं है—
 सेवा कर सम्बन्धित कानून की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार है :



1. वित्त अधिनियम, 1994

सेवा कर सम्बन्धी वैधानिक प्रावधान सर्वप्रथम वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के द्वारा लागू किये गये। वित्त अधिनियम, 2003 में वित्त अधिनियम, 1994 में सेवा कर की अग्रिम निर्णय से सम्बन्धित अध्याय VA जोड़ा गया।

वित्त अधिनियम, 2004 के अध्याय VI के द्वारा शिक्षा उपकर को वसूलने से सम्बन्धित प्रावधान लागू हुआ।

वित्त अधिनियम, 2007 के अध्याय VI के द्वारा माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर लागू हुआ।

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V तथा VA सेवा कर लगाने के अधिकार प्रदान करता है तथा सेवा कर को संचालित करने वाला कानून बनाता है।

2. सेवा कर नियम

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 तथा 96I केन्द्रीय सरकार को प्रावधान चलाने के लिए अधिकार प्रदान करती है सेवा कर प्रावधान को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कई नियम जारी किये हैं—

सेवा कर नियम, 1994

सेवा अग्रिम निर्णय, 2003

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004

सेवा कर (विशेष श्रेणी के व्यक्तियों का पंजीयन) नियमावली, 2005

कराधान नियम बिन्दु, 2011 आदि।

3. सेवा कर सम्बन्धी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र तथा स्पष्टीकरण

वित्त अधिनियम के अध्याय V की धारा 94 तथा अध्याय VA की धारा 96I द्वारा केन्द्र सरकार को सेवा कर प्रावधानों को लागू करने के सम्बन्ध में नियम बनाने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। इसलिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचनाएँ जारी की जाती रही हैं।

अधिसूचना के अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा परिपत्र एवं स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं। जिसमें करयोग्य सेवा का क्षेत्र और सेवा कर, प्रशासन की व्यवस्था आदि विषयों पर अनुपालन करने के निर्देश होते हैं। ऐसे परिपत्रों एवं निर्देशों का वैधानिक प्रावधानों एवं अधिसूचनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा ही वैधानिक प्रावधानों का स्पष्टीकरण होता है।

परिपत्र के लागू होने के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र विभाग को बाध्य करते हैं किन्तु करदाता को बाध्य नहीं करते हैं।

4. व्यापारिक सूचनाएँ


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर आयुक्तालयों द्वारा व्यापारिक सूचनाएँ जारी की जाती हैं। ऐसी सूचनाएँ कार्यरत अधिकारियों को भेजी जाती हैं। व्यापारिक सूचनाएँ सम्बन्धित संघों को भेजी जाती हैं। व्यक्तिगत करदाता भी ऐसी सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है।

सेवा कर सम्बन्धित कानून—

वित्त अधिनियम, 1994
सेवा कर पर नियम,
सेवा कर सम्बन्धी अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवं स्पष्टीकरण,
व्यापारिक सूचनाएँ।

5. सेवा कर क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट

सेवा प्रदानकर्ता द्वारा प्रयुक्त सभी इनपुट सेवा पर भुगतान सेवा कर का क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार नियम बनाने के लिए अधिकृत है। सेनवैट क्रेडिट तथा सेवा कर क्रेडिट नियम को 2004 में एकीकृत किया गया। जिसमें निर्माता या सेवा प्रदानकर्ता, इनपुट पूँजी वस्तु तथा इनपुट सेवा पर भुगतान शुल्क के क्रेडिट को प्राप्त करने में समर्थ हैं। वर्तमान में सेनवैट क्रेडिट नियम 2014 समस्त भारत में लागू है जबकि यह नियम सेवा कर के क्रेडिट को प्राप्त करने तथा उपयोग के सम्बन्ध में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। यह नियम तीन श्रेणी के लिए हैं—



- (i) निर्माता,
- (ii) सेवा प्रदानकर्ता,
- (iii) सह-सेवा प्रदानकर्ता।

6. सेवा कर की दर—वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66B के अन्तर्गत करयोग्य सेवाओं के मूल्य पर 14% (1.6.2016 से 15%) की दर सेवा कर लगाया गया है—

सेवा कर की दर का विवरण निम्न है :

सेवा की दर का विवरण									
	1999	2003	2004	2006	2007	2009	2012	2015	2016
	5%	8%	10.2%	12.24%	12.36%	10.3%	12.36%	14%	15%
1.	1999			5%					
2.	14 मई, 2003			8%					
3.	10 सितम्बर, 2004			10.2%					

4.	18 अप्रैल, 2006	12.24%
5.	11 मई, 2007	12.36%
6.	24 फरवरी, 2009	10.3%
7.	1 अप्रैल, 2012	12.36%
8.	1 जून, 2015	14%
9.	1 जून, 2016	15% (0.5% स्वच्छ भारत उपकर एवं 0.5% कृषि कल्याण उपकर सहित)

सेवा कर का उद्देश्य

(OBJECTIVES OF SERVICE TAX)

विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा संसाधनों को एकत्र करने की समस्या होती है। भारत में माल एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) (GST) के रूप में समेकित कर 1.4.2017 से लागू करने की योजना प्रस्तावित है। इस पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। इसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत एक ही कर लगाया जायेगा। जिसमें वस्तु एवं सेवा शामिल है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रदान सेवा, सेवा कर के लिए दायी नहीं—यदि कोई व्यक्ति जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर से, जम्मू कश्मीर राज्य में सेवा प्रदान करता है तो ऐसी सेवा, सेवा कर के लिए दायी नहीं है क्योंकि सेवा प्राप्तकर्ता गैर कर योग्य क्षेत्र में सेवा प्राप्त कर रहा है।

यदि सेवा प्रदान करने वाला तथा सेवा प्राप्त करने वाला दोनों जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हैं तब ऐसी सेवा करयोग्य नहीं है।

जम्मू एवं कश्मीर से प्रदान सेवा, जम्मू एवं कश्मीर के बाहर प्रदान होने पर सेवा कर के लिए दायी है—यदि जम्मू एवं कश्मीर के निवासी, जम्मू एवं कश्मीर के बाहर सेवा प्रदान करते हैं तो ऐसी सेवा करयोग्य होगी क्योंकि सेवा प्राप्तकर्ता सेवा करयोग्य क्षेत्र में है।

सेवा कर प्रशासन

(SERVICE TAX ADMINISTRATION)


सेवा कर केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा संचालित होता है जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के नियन्त्रण के अन्तर्गत हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड—यह बोर्ड सभी प्रत्यक्ष कर (आयकर, धनकर आदि) की देख-रेख करता है।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड—यह बोर्ड अप्रत्यक्ष कर (उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि) की देख-रेख करता है।

उपरोक्त दोनों बोर्ड का गठन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित होता है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड केन्द्रीय उत्पाद क्षेत्र के द्वारा सेवा कर मामलों का प्रशासन करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक आयुक्त होता है जिसके अन्तर्गत सेवा कर सम्बन्धी कार्य सम्पन्न होते हैं।

सेवा कर की प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—



सेवा कर के बढ़ते हुए महत्व के कारण निम्न नगरों में अलग से आयुक्त नियुक्त किये गये हैं—

1. दिल्ली
2. मुम्बई
3. कोलकाता

4. चेन्नई
5. बंगलूरु
6. अहमदाबाद।

सेवा कर के महानिदेशक को मुम्बई में रखा गया है। निदेशालय के अन्तर्गत निम्न कार्य होते हैं—

1. सेवा कर निर्धारण एवं एकत्रीकरण,
2. स्टॉफ की आवश्यकता का अध्ययन,
3. सेवा कर लागू करने का अध्ययन,
4. राजस्व एकत्रण में वृद्धि के उपाय,
5. कानून एवं प्रक्रिया का अध्ययन,
6. सेवा कर संग्रह के सम्बन्ध में व्यवस्था,
7. आयुक्त क्षेत्र में सेवा कर प्रकोष्ठ का निरीक्षण।

मुख्य व्याख्याएँ

1. प्रिण्ट मीडिया से आशय (Meaning of Print Media)

- (i) पुस्तक जैसा प्रेस एवं पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1(1) के रूप में परिभाषित किया।
- (ii) समाचार पत्र जैसा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1(1) के रूप में परिभाषित किया।

2. करयोग्य सेवा का अर्थ (Meaning of Taxable Service)

जिस पर धारा 66B के अन्तर्गत सेवा कर लगाया जायेगा। जो नकारात्मक सूची में शामिल न हो।

3. गैर-करयोग्य सेवा का अर्थ (Meaning of Non Taxable Service)

- (i) करयोग्य क्षेत्र से बाहर प्रदान की गई सेवा
- (ii) नकारात्मक सूची में शामिल सेवा

4. व्यक्ति का अर्थ (Meaning of Person)

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) एक व्यक्ति,
- (ii) एक कम्पनी,
- (iii) एक समिति,
- (iv) एक फर्म,
- (v) एक सीमित दायित्व साझेदारी,
- (vi) हिन्दू अविभाजित परिवार,
- (vii) व्यक्तियों का समुदाय,
- (viii) सरकार,
- (ix) स्थानीय सत्ता,
- (x) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

5. प्रतिफल का अर्थ (Meaning of Consideration)

प्रतिफल मौद्रिक या गैर-मौद्रिक हो सकता है; प्रतिफल के लिए एक व्यक्ति द्वारा गतिविधि चलायी जानी चाहिए।

6. गतिविधि से आशय (Meaning of Activity)

इसमें निम्न शामिल हैं—

- (i) किया गया कार्य (Act),
- (ii) किया कार्य,
- (iii) कार्य का समापन,
- (iv) चलाया जा रहा परिचालन आदि।

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सेवा कर क्या है? भारत में सेवा कर के सम्बन्ध में कौन-कौन सी मुख्य बातें हैं? समझाइए।
What is Service Tax? Discuss the main features of service tax in India.
2. सेवा कर के बढ़ते महत्व पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on increasing contribution of service tax.
3. निम्न पर टिप्पणी कीजिए—
Write short notes on :
 - (a) सेवा कर प्रशासन (Service Tax Administration)
 - (b) सेवा कर सम्बन्धित कानून (Law relating of service tax)
 - (c) सेवा कर की विस्तृत एवं चयनित अप्रोच (Selective and comprehensive approach of service tax)
 - (d) सेवा कर की विशेषताएँ (Features of service tax)
4. सेवाकर से क्या आशय है? सेवाकर की विशेषताएँ बताइए।
What is Service Tax? Mention the main features of Service Tax.
5. सेवाकर की नकारात्मक सूची का वर्णन कीजिए।
Describe the Negative list of Service Tax.

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. सेवा कर प्रारम्भ हुआ—
Origin of service tax :

(a) 1994	(b) 1997
(c) 2003	(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
2. सेवा कर नहीं लगाया जाता है—
Service tax is not charged :

(a) बिहार (Bihar)	(b) छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
(c) जम्मू एवं कश्मीर (Jammu & Kashmir)	(d) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
3. केवल केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त है—
Power to only central government for :

(a) राज्य सूची (State List)	(b) केन्द्रीय सूची (Union List)
(c) समवर्ती सूची (Concurrent List)	(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
4. 1.6.2016 से सेवा कर की दर है—
From 1.6.2016 rate of service tax from :

(a) 12.36%	(b) 14%	(c) 10.3%	(d) 15%
------------	---------	-----------	---------
5. सेवा कर के महानिदेशक का कार्यालय है—
The office of Director General of service tax is :

(a) दिल्ली (Delhi)	(b) मुम्बई (Mumbai)
(c) चेन्नई (Chennai)	(d) अहमदाबाद (Ahmedabad)

[उत्तर—1. (a), 2. (c), 3. (b), 4. (d), 5. (b).]

2

कराधान बिन्दु नियम, 2011 [POINT OF TAXATION RULES, 2011]


प्रारम्भिक

(INTRODUCTION)

कराधान बिन्दु से आशय समय के उस बिन्दु से है जब सेवा को प्रदान किया माना जायेगा। सेवा कर को कराधान बिन्दु नियम, 2011 के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके अन्तर्गत कराधान के बिन्दु का निर्धारण तथा सेवा कर के भुगतान को सेवा कर नियम के अनुसार सेवा कर का भुगतान करना है। सेवा देने वाला सेवा कर भुगतान के लिए तब ही दायी है जब दी गई सेवाओं के बदले प्रतिफल वास्तव में प्राप्त हो जाता है।

कराधान बिन्दु—

कराधान के निम्नलिखित बिन्दु हैं—



1. **बीजक बनाना** : जब प्रदत्त एवं प्रदाननीय सहमत सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक निर्गमित कर दिया गया है।
2. **प्राप्ति की तिथि** : जब बीजक निर्गमन या सेवा की पूर्णता से पूर्व राशि प्राप्त होती है।
3. **सेवा की पूर्णता** : प्रदत्त सेवा की पूर्णता की तिथि जब बीजक का निर्गमन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है।

कराधान के बिन्दु का निर्धारण

(DETERMINATION OF POINT OF TAXATION)

(कराधान बिन्दु नियम 2011 का नियम 3)

नियम 3 के अनुसार सेवा कर में भुगतान के लिए दायित्व निम्न होगा—

1. जहाँ बीजक को सेवा की पूर्णता (30 दिन या वित्तीय क्षेत्र के लिए 45 दिन) के अन्दर निर्गमित कर दिया हो—	(i) भुगतान प्राप्त होने की तिथि (ii) प्रदत्त या प्रदाननीय सहमत सेवा के लिए बीजक जारी करने की तिथि	} दोनों में से जो भी पहले हो
2. जहाँ पर बीजक को सेवा की पूर्णता का 30 या 45 दिन को उठाया नहीं है—	(i) सेवा के प्रावधान की पूर्णता (ii) भुगतान प्राप्त होने की तिथि	

सेवा देने वाले द्वारा अग्रिम की प्राप्ति की स्थिति में कराधान का बिन्दु—

इन नियमों के उद्देश्य के लिए किसी भी नाम से सेवा देने वाले को करयोग्य के लिए कोई अग्रिम प्राप्त होता है तब कराधान बिन्दु ऐसे अग्रिम की प्राप्ति की तिथि को होगा।

नियमावली के नियम 3 के अनुसार कराधान बिन्दु के निर्धारण का विश्लेषण—

विवरण	कराधान का बिन्दु	
1. सेवा की पूर्णता की तिथि से निर्धारित अवधि जब बीजक 30 दिनों के अन्दर निर्गमित कर दिया हो—	(i) बीजक की तिथि (ii) भुगतान प्राप्ति की तिथि	} जो भी पहले हो
2. सेवा की पूर्णता की तिथि से निर्धारित अवधि 30 दिन के अन्दर बीजक निर्गमित नहीं किया गया हो—	(i) सेवा के पूर्णता की तिथि (ii) भुगतान प्राप्ति की तिथि	

उदाहरण—

मामला	सेवा पूर्णता की तिथि	बीजक की तिथि	भुगतान प्राप्ति की तिथि
I	7 सितम्बर 2016	30 सितम्बर 2016	12 अक्टूबर 2016
II	7 सितम्बर 2016	5 अक्टूबर 2016	22 सितम्बर 2016
III	7 सितम्बर 2016	10 अक्टूबर 2016	27 सितम्बर 2016
IV	7 सितम्बर 2016	10 अक्टूबर 2016	आंशिक प्राप्ति 5 सितम्बर 2016 तथा शेष प्राप्ति 22 सितम्बर 2016

कराधान बिन्दु का निर्धारण कीजिए।

हल :

मामला I— कराधान का बिन्दु	(30 सितम्बर 2016) = बीजक की तिथि पहले होने के कारण
मामला II— कराधान का बिन्दु	(22 सितम्बर 2016) = भुगतान प्राप्ति की तिथि पहले होने के कारण
मामला III— कराधान का बिन्दु	(7 सितम्बर 2016) = बीजक 30 दिन के अन्दर निर्गमित नहीं किये जाने के कारण
मामला IV— कराधान का बिन्दु	(5 सितम्बर 2016) = आंशिक भुगतान प्राप्ति के कारण सेवा पूर्णता एवं (7 सितम्बर 2016) की तिथि के कारण

सेवा पूर्णता की तिथि का निर्धारण

- (i) सेवा की लगातार आपूर्ति के मामले में सेवा की पूर्णता की तिथि : (नियम 3)—सेवा की लगातार आपूर्ति की स्थिति में सेवा की पूर्णता की तिथि का निर्धारण करना होता है, ऐसी स्थिति में जहाँ सेवा की लगातार आपूर्ति की जा रही है। जहाँ पर सेवा का समस्त या कुछ भाग का निर्धारण एक संविदा के संदर्भ में एक घटना की पूर्ति पर आवधिक रूप से निर्धारित किया जाता है जिसमें सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा, सेवा प्रदानकर्ता को भुगतान करना होता है, प्रत्येक घटना की पूर्णता की तिथि को सेवा के प्रावधान की पूर्णता की तिथि माना जायेगा।
- (ii) सेवा की लगातार आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य मामलों में सेवा के प्रावधान के पूर्णता की तिथि—CBEC परिपत्र 144/3/2011 ST दि. 18-7-2011 में अधीन यह स्पष्ट है कि इस प्रकार पूर्ण सेवा को पहचाना जाये इसमें न केवल शामिल होगा, सेवा के प्रावधान का भौतिक भाग बल्कि सभी सहायक सेवाओं की पूर्णता भी शामिल हो जिससे सेवा देने वाला बीजक (Invoice) निर्गमित कर सके।

कर की प्रभावी दर में परिवर्तन होने पर कराधान बिन्दु का निर्धारण (नियम 4)

1. कर की दर में प्रभावी परिवर्तन से पूर्व प्रदत्त करयोग्य सेवाएँ—


क्र.सं.	स्थिति	कराधान का बिन्दु	सेवा कर की दर
1.	जब दर में परिवर्तन के बाद बीजक जारी किया हो जब दर में परिवर्तन के बाद भुगतान प्राप्त किया हो	भुगतान प्राप्त करने की तिथि बीजक जारी करने की तिथि (जो भी पहले हो)	नयी दर
2.	जब दर में परिवर्तन से पहले बीजक जारी किया हो जब दर में परिवर्तन के बाद भुगतान प्राप्त किया हो	बीजक को जारी करने की तिथि	पुरानी दर
3.	जब दर में परिवर्तन से पहले भुगतान प्राप्त किया हो जब दर में परिवर्तन के बाद बीजक जारी किया हो	भुगतान प्राप्त करने की तिथि	पुरानी दर

2. कर की दर में प्रभावी परिवर्तन के बाद प्रदत्त करयोग्य सेवाएँ—

क्र.सं.	स्थिति	कराधान का बिन्दु	सेवा कर की दर
1.	जब दर में परिवर्तन के बाद भुगतान प्राप्त किया हो	भुगतान की तिथि	नयी दर
2.	जब दर में परिवर्तन से पहले बीजक जारी किया हो	बीजक जारी करने की तिथि	पुरानी दर
	जब दर में परिवर्तन से पहले भुगतान प्राप्त किया हो	भुगतान प्राप्त करने की तिथि (जो भी पहले हो)	
3.	जब दर में परिवर्तन के बाद बीजक जारी किया हो	बीजक जारी करने की तिथि	नयी दर
	जब दर में परिवर्तन से पहले भुगतान प्राप्त किया हो		

नई सेवाओं की स्थिति में कर का भुगतान

जब कोई सेवा नियम 6 में शामिल न हो तथा प्रथम बार करयोग्य हो तब निम्न स्थिति रहती है :—



उदाहरण :

क्र.सं.	नई सेवा के करयोग्य बनने की तिथि	बीजक की तिथि	भुगतान प्राप्त करने की तिथि
1.	01.12.2016	28.11.2016	30.11.2016
2.	01.12.2016	13.12.2016	20.11.2016
3.	01.12.2016	28.11.2016	02.12.2016
4.	01.12.2016	16.12.2016	20.11.2016

बताइये सेवा करयोग्य हैं या नहीं ?

हल :

क्रम संख्या 1 के लिए : करयोग्य नहीं हैं बीजक को सेवा के करयोग्य बनने से पूर्व उगाहा है।

क्रम संख्या 2 के लिए : करयोग्य नहीं हैं बीजक को सेवा के करयोग्य बनने के 14 दिन के अन्दर उगाहा है।

क्रम संख्या 3 के लिए : करयोग्य हैं। भुगतान को सेवा के करयोग्य बनने के पश्चात् प्राप्त किया है।

क्रम संख्या 4 के लिए : करयोग्य हैं। भुगतान सेवा के करयोग्य बनने के 14 दिन के अन्दर उगाहा नहीं है।

निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामलों में कराधान बिन्दु का निर्धारण (नियम 7)

जहाँ पर भुगतान को बीजक की तिथि के तीन माह की अवधि के अन्दर नहीं किया हो कराधान का बिन्दु तीन माह की उक्त अवधि के बाद की तुरन्त वाली तिथि होगी।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68(2) के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत सेवा का प्राप्तकर्ता के रूप में कर के भुगतान करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में कराधान का बिन्दु वह तिथि होगी जब भुगतान किया गया हो।

कॉपीराइट आदि की स्थिति में कराधान बिन्दु का निर्धारण (नियम 8)

कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क, डिजाइन या पेटेंट के लिए भुगतान एवं रॉयल्टी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि सेवा प्रदान करते समय निश्चय करने योग्य नहीं है। बाद में प्रदानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के द्वारा इन सेवाओं का उपयोग या लाभ प्रतिफल के भुगतान को उत्पन्न करता है, तब सेवा को प्रत्येक समय प्रदान किया हुआ माना जायेगा।

ऐसे स्थिति में प्रत्येक समय सेवा प्रदत्त समझी जायेगी जब—

- जब सेवा प्रदानकर्ता को सेवा के उपयोग या लाभ लेने के बदले भुगतान प्राप्त हो
- सेवा प्रदानकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाता हो
(जो भी पहले हो)

अन्य मामलों में कराधान बिन्दु का निर्धारण (नियम 8A)

कराधान बिन्दु निर्धारण के सम्बन्ध में नियम 8A अवशिष्ट नियम हैं। जिसमें सर्वोत्तम विवेक के अन्तर्गत स्थिति का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ पर बीजक की तिथि या भुगतान तिथि या दोनों उपलब्ध नहीं हैं तब केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है तथा करदाता का सुनने के पश्चात् लिखित में आदेश देकर कर अपने सर्वोत्तम निर्णयन में कराधान बिन्दु का निर्धारण करेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Question)**

- कराधान बिन्दु से क्या तात्पर्य है कराधान बिन्दु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?
What is point of Taxation ? How point of Taxation is determined ?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)

- निम्न पर टिप्पणी कीजिए—
Write short notes on :
(A) लगातार आपूर्ति सेवाएँ (Continuous supply services),
(B) नई सेवाओं के कराधान बिन्दु (Point of Taxation in case of new services),
(C) सेवा पूर्णता की तिथि का निर्धारण (Determine the date of completion of services)।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

- अन्य मामलों में कराधान बिन्दु का निर्धारण किस नियम के अन्तर्गत है—
Determination point of Taxation in other cases under which rule :
(a) नियम 7 (Rule 7) (b) नियम 8A (Rule 8A)
(c) नियम 9 (Rule 9) (d) नियम 5 (Rule 5)
- सेवा की पूर्णता की तिथि का निर्धारण किस नियम के अन्तर्गत है—
Determination of date of completion of service under which rule :
(a) नियम 5 (Rule 5) (b) नियम 8 (Rule 8)
(c) नियम 3 (Rule 3) (d) ये सभी (All of these)

[उत्तर—1. (b), 2. (c).]

3

सेवा प्रदान करने का स्थान [PLACE OF PROVISION OF SERVICE]

सेवा कर उन सेवाओं पर लगाया जाता है जो करयोग्य क्षेत्र में प्रदत्त हो अथवा प्रदाननीय सहमत हैं जो सेवाएँ करयोग्य क्षेत्र में प्रदत्त हैं वे सेवा कर के लिए दायी हैं। सेवा के कराधान का निर्धारण उसके प्रावधान के स्थान पर निर्भर है। सरकार विभिन्न सेवा की प्रकृति तथा विवरण पर विचार करके स्थान का निर्धारण करने के लिए नियम बना सकती है। जहाँ इस प्रकार की सेवा को प्रदान किया है या प्रदाननीय माना है या प्रदान करने के लिए सहमत है या प्रदान किए जाने के लिए सहमत माना गया है। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने सेवा का प्रावधान का स्थान नियम 2012 बनाया है।

सेवा का प्रावधान का स्थान नियम 2012 की प्रासंगिकता – धारा 66B के प्रावधान के अनुसार सेवा तब ही करयोग्य है जब इसे करयोग्य क्षेत्र में प्रदान किया हो या प्रदान किए जाने के लिए सहमत हैं। इन नियमों के अनुसार उस स्थान का निर्धारण किया जाएगा जहाँ किसी सेवा का प्रावधान किया गया है। ये नियम वहाँ भी प्रासंगिक होंगे जहाँ ऐसी सेवा का निर्धारण करना है जो पूर्णतः विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अन्दर उपभोग कर ली गई है जिससे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राथमिक कर-मुक्ति का लाभ मिल सके।

आयात एवं निर्यात सेवाएँ—सेवाओं के आयात एवं निर्यात सम्बन्धी प्रावधान सेवाओं के कराधान नियम 2006 तथा सेवाओं के निर्यात नियम 2005 में निहित थे।

एक सेवा निर्यात समझी जाएगी जब सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6A में वर्णित शर्तें पूरी हों।

सेवा का प्रावधान का स्थान नियम, 2012

सेवा का प्रावधान के स्थान के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं—

1. लघु शीर्ष, हद तथा प्रारम्भ
2. परिभाषा
3. प्रावधान का स्थान
4. निष्पादन के प्रावधान का स्थान
5. अचल सम्पत्ति सम्बन्धी
6. समारोह से सम्बन्धित
7. एक से अधिक स्थान
8. सेवा प्रदान कर्ता
9. निर्दिष्ट सेवा का स्थान
10. माल का स्थान
11. यात्री परिवहन का स्थान
12. वाहन पर चढ़ने का स्थान
13. परिस्थिति का स्थान
14. नियमों को लागू होने का आदेश

1. लघु शीर्ष, हद तथा आरम्भ (नियम 1) —

- (i) इस नियम को सेवा का प्रावधान का स्थान नियम, 2012 कहलाता है।
- (ii) यह नियम 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी हुआ है।

2. परिभाषा (नियम 2) –

(A) सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति का अर्थ –

- (i) सेवा प्राप्तकर्ता ने एकल पंजीकरण प्राप्त किया है चाहे केन्द्रीकृत हो या नहीं, परिसर जिसके लिए इस प्रकार के पंजीकरण को प्राप्त किया है।
- (ii) सेवा प्राप्तकर्ता उपवाक्य (i) के अन्तर्गत नहीं है –
 - (a) व्यापार स्थापना की स्थिति
 - (b) व्यापारिक स्थापना के अतिरिक्त सेवा को एक स्थायी स्थान पर प्रयुक्त किया है।
 - (c) सेवा को एक से अधिक स्थापना पर प्रयुक्त किया है।
 - (d) सेवा प्राप्तकर्ता के निवास का स्थान।

(B) सेवा प्रदानकर्ता की स्थिति का अर्थ –

- (i) सेवा प्रदानकर्ता ने एकल पंजीकरण प्राप्त किया है चाहे केन्द्रीकृत हो या नहीं, परिसर जिसके लिए इस प्रकार के पंजीकरण को प्राप्त किया है।
- (ii) सेवा प्रदानकर्ता उपवाक्य (i) के अन्तर्गत नहीं है –
 - (a) व्यापार स्थापना की स्थिति,
 - (b) व्यापारिक स्थापना के अतिरिक्त स्थान जहाँ से सेवा प्रदान की गई है,
 - (c) एक से अधिक स्थापना पर सेवा को प्रदान किया हो,
 - (d) सेवा प्रदानकर्ता के निवास का स्थान।

3. सामान्यतः प्रावधान का स्थान (नियम 3) – व्यापार के सामान्य व्यवहार में सेवा, सेवा का प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति होगी। यदि सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति व्यापार के साधारण व्यवहार में उपलब्ध नहीं है तब प्रावधान का स्थान सेवा प्रदानकर्ता की स्थिति होगी।

4. सेवा आधारित निष्पादन का प्रावधान का स्थान (नियम 4) – निम्नांकित सेवाओं के प्रावधान का स्थान वह स्थान माना जाएगा जहाँ ऐसी सेवाएँ वास्तव में क्रियान्वित की गई हों –

- (i) सेवा प्रदानकर्ता को सेवा प्राप्तकर्ता के द्वारा सेवा को प्रदान करने के लिए वस्तु के सम्बन्ध में भौतिक रूप से उपलब्ध करना। सेवा का प्रावधान का स्थान जहाँ पर सेवा को वास्तव में प्रदान किया है।
- (ii) सेवा प्राप्तकर्ता या सेवा प्राप्तकर्ता के प्रतिनिधि के द्वारा एक व्यक्ति को प्रदान सेवा जिसमें सेवा के प्रावधान के लिए प्रदानकर्ता के साथ प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के प्रतिनिधि की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। सेवा का प्रावधान का स्थान जहाँ पर सेवा को वास्तव में निष्पादित किया गया है।

ऐसी सेवाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं –

- (a) वस्तु की मरम्मत आदि,
- (b) संग्रहण एवं भण्डारण,
- (c) कोरियर सेवा,
- (d) तकनीकी परीक्षण,
- (e) निर्जल धुलाई (ड्राई क्लीनिंग),
- (f) कार्गो हैंडलिंग सेवाएँ,
- (g) प्लास्टिक सर्जरी,
- (h) कक्षा में अध्यापन,
- (i) इण्टरनेट कैफे,
- (j) फोटोग्राफी सेवा,
- (k) व्यक्तिगत सुरक्षा सेवा आदि।

5. **अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 5)**—अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सेवाओं के प्रावधान का स्थान निर्धारण करने में निम्न सेवाएँ शामिल हैं—
- विशेषज्ञ तथा सम्पदा एजेण्ट की सेवाएँ,
 - होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब, कैम्प साइट के द्वारा आवास सेवा का प्रावधान,
 - अचल सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार,
 - वास्तुविद या आन्तरिक साज-सज्जा सहित निर्माण कार्य का संचालन।
- इसके सम्बन्ध में सेवा का प्रावधान का स्थान वहाँ होगा जहाँ अचल सम्पत्ति स्थित है अथवा स्थिति प्रत्याशित है। भले ही सेवा देने वाला एवं सेवा प्राप्तकर्ता कहीं भी स्थित हो।
ऐसी सेवाओं के उदाहरण निम्न हैं—
- अचल सम्पत्ति को किराए पर देना,
 - भूमि तथा समुद्र तट का सर्वेक्षण,
 - होटल, आवास एवं भण्डारगृह स्थान की पूर्ति,
 - विद्यार्थी सेवाएँ।
6. **समारोह से सम्बन्धित सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 6)**—किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा या मनोरंजन समारोह या एक समारोह, कान्फ्रेंस, मेला, प्रदर्शनी या इसी प्रकार के समारोह का आयोजन या प्रवेश द्वारा प्रदान सेवा तथा इस प्रकार के प्रवेश से सहायक सेवा के सम्बन्ध में सेवा का प्रावधान का स्थान वहाँ होगा जहाँ समारोह वास्तव में आयोजित हुआ है।
7. **एक से अधिक स्थानों पर प्रदान सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 7)**—नियम 4, 5 या 6 के सम्बन्ध में कोई सेवा एक से अधिक स्थानों पर प्रदान की जाती है तो सेवा को प्रावधान के स्थान वहाँ होगा, जहाँ करयोग्य क्षेत्र में जिस स्थान पर सेवा का अधिकतम भाग प्रदान किया गया है।
8. **सेवा प्रदानकर्ता एवं सेवा प्राप्तकर्ता करयोग्य क्षेत्र में स्थित होने पर सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 8)**—सेवा प्रदानकर्ता एवं सेवा प्राप्तकर्ता दोनों ही करयोग्य क्षेत्र में स्थित होने पर सेवा का प्रावधान का स्थान वहाँ होगा, जहाँ सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति होगी।
9. **निर्दिष्ट सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 9)**—निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा का प्रावधान का स्थान सेवा प्रदानकर्ता की स्थिति होगी। ऐसी निर्दिष्ट सेवाएँ निम्न हैं—
- एक बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान या गैर वित्तीय कम्पनी द्वारा खाता धारकों को प्रदान सेवा,
 - ऑनलाइन सूचना या डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाएँ,
 - मध्यवर्ती सेवा,
 - एक माह की अवधि तक (हवाई जहाज एवं जलयान को छोड़कर) परिवहन के सभी साधन को किराए पर देने की सेवा।
10. **माल या वस्तु परिवहन सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 10)**—माल या वस्तु के परिवहन की सेवा का प्रावधान का स्थान (डाक एवं कोरियर को छोड़कर) वहाँ होगा जहाँ माल या वस्तु का गन्तव्य का स्थान है।
यद्यपि माल या वस्तु परिवहन एजेन्सी की सेवा का प्रावधान का स्थान वहाँ होगा जहाँ सेवा कर के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति की स्थिति होगी।
11. **यात्री परिवहन सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 11)**—यात्री परिवहन की दशा में सेवा का प्रावधान का स्थान वहाँ होगा जहाँ यात्री लगातार यात्रा के लिए वाहन में चढ़ता है।
लगातार यात्रा या निरन्तर यात्रा से आशय ऐसी यात्रा से है जिसमें एक सेवा प्रदानकर्ता या एक से अधिक सेवा प्रदानकर्ता की तरफ से कार्यरत एजेण्ट के द्वारा एक समय पर एक या अधिक टिकट या बीजक को जारी किया गया

है। जिसमें यात्रा के किसी पड़ाव के मध्य कोई ठहराव नहीं है। जिसके लिए एक या अधिक पृथक् टिकट या बीजक को जारी किया है।

यात्रा का भाग—यात्रा के किसी ऐसे भाग से है जो वहाँ से प्रारम्भ होगा जहाँ से कोई यात्री चढ़ता है या उतरता है या अपनी सेवा को रोकता है।

12. **एक वाहन पर चढ़ने के लिए प्रदान सेवा का प्रावधान का स्थान (नियम 12)**—यात्री परिवहन परिचालन के अन्तर्गत वाहन पर चढ़ने के लिए प्रदान सेवा जिसमें वाहन पूर्णतः या अधिकांशतः उपयोग शामिल है। सेवा का प्रावधान का स्थान वहाँ होगा जहाँ यात्रा के वाहन का प्रथम अनुसूचित प्रारम्भ होगा।
13. **परिस्थिति का विवरण अधिसूचित करने का अधिकार (नियम 13)**—दोहरे करारोपण को रोकने के लिए या गैर करारोपण को रोकने के उद्देश्य से या नियम का समरूप उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार को परिस्थिति का विवरण या सेवा का विवरण अधिसूचित करने का अधिकार है। सेवा का प्रावधान का स्थान वह होगा जहाँ ऐसी सेवा का प्रभावशाली उपयोग तथा उपभोग हो।
14. **नियमों को लागू होने का आदेश (नियम 14)**—जहाँ पर सेवा का प्रावधान का निर्धारण एक से अधिक नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है। तब इसका निर्धारण उस नियम के अनुसार किया जाएगा जो नियम बाद में आया है जिन्हें समान पात्रता के कारण ध्यान में रखना आवश्यक है। स्थान के निर्धारण के सम्बन्ध में कुल नियम 14 हैं जो स्थान के निर्धारण में सहायता प्रदान करते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सेवा के करयोग्य क्षेत्र से क्या आशय है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
What is the meaning of Taxable Territory of service? How it is determined?
2. सेवा प्रदान करने के स्थान नियम, 2012 क्या है? व्याख्या कीजिए।
What is place of provision of service rule 2012? Explain it.
3. सेवा प्रदान करने के स्थान नियम की व्याख्या कीजिए। इस सम्बन्ध में क्या नियम है?
Explain the place of provision of services. What are the rules relating to it.
4. करयोग्य सेवा क्षेत्र से क्या आशय है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है।
What is taxable territory? How it is determined?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)

1. निम्न पर टिप्पणी कीजिए—
Write short notes on :
(i) लगातार यात्रा (Continuous Journey),
(ii) स्थायी स्थापना (Fixed Establishment),
(iii) सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति (Location of Service Receiver),
(iv) सेवा प्रदानकर्ता की स्थिति (Location of Service Provider)।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. माल या वस्तु परिवहन सेवा का प्रावधान का स्थान का नियम है—
Place of provision of goods transportation service rule is :
(a) 10 (b) 12 (c) 13 (d) 14
2. सेवाओं के निर्यात का नियम है—
Export of service rule is :
(a) 2010 (b) 2005 (c) 2003 (d) 2011

[उत्तर—1. (a), 2. (b).]

4

वृहद् विमुक्तियाँ और अन्य छूट

[MEGA EXEMPTIONS AND OTHER EXEMPTIONS]

प्रस्तावना

(INTRODUCTION)

अन्य विमुक्त अधिसूचना के अतिरिक्त, वृहद् विमुक्तियाँ अधिसूचना संख्या 25/2012 ST, दि. 20-06-2012 विशेष रूप से मदों को सेवा कर के लगाने से पृथक्करता है। यह अधिसूचना 01-07-2012 से प्रभावी है; ऐसी विमुक्तियाँ निम्नलिखित हैं— वृहद् छूट 48 हैं; जिनका वर्णन निम्नलिखित है :

1. संयुक्त राष्ट्र संघ या निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संघों को प्रदान सेवाएँ,
2. स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएँ—पंजीकृत चिकित्सकों या अर्द्धचिकित्सकों के द्वारा प्रदत्त सेवाएँ,
3. स्टेम सेल बैंकिंग सेवाएँ ,
4. सामान्य बायोमेडिकल विनिष्ट उपचार सेवाएँ,
5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा पुण्यार्थ गतिविधियों के रूप में सेवाएँ,
6. पशुपालन क्लीनिक द्वारा प्रदत्त सेवाएँ (पशु एवं पक्षियों के सम्बन्ध में),
7. एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सेवाएँ—
 - (i) धार्मिक समारोह का आयोजन,
 - (ii) धार्मिक स्थल के किसी स्थान को सामान्य जनता को किराये पर देना।
8. पंचनिर्णय प्राधिकरण द्वारा सेवाएँ—
 - (i) व्यापार इकाई के अतिरिक्त कोई व्यक्ति,
 - (ii) व्यापार इकाई जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर 10 लाख तक हो।
9. मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवा—कला, क्रीड़ा या संस्कृति से सम्बन्धित,
10. दोहरे प्रबन्ध के अन्तर्गत भारत सरकार का विदेश मंत्रालय के द्वारा सुलभ धार्मिक यात्रा के सम्बन्ध में निर्दिष्ट संस्था के द्वारा सेवाएँ,
11. शिक्षा सेवाएँ—
 - (i) शिक्षा संस्था द्वारा अपने विद्यार्थियों, संकाय तथा कर्मचारियों को प्रदत्त सेवाएँ,
 - (ii) शिक्षा संस्था द्वारा निम्न रूप में प्रदान की गई सेवाएँ—
 - (a) विद्यार्थी, संकाय एवं कर्मचारियों के परिवहन के सम्बन्ध में,
 - (b) सरकार द्वारा प्रायोजित किसी मिड-डे योजना सहित खानपान सेवाएँ,
 - (c) शिक्षा संस्था में सुरक्षा, सफाई एवं हाउसकीपिंग सेवाएँ,
 - (d) इस प्रकार के संस्थान के द्वारा परीक्षा आयोजित करने एवं प्रवेश सम्बन्धी सेवाएँ।
12. कौशल विकास सेवाएँ—निम्न के द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ—
 - (i) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम (NSDC),
 - (ii) खण्ड कुशलता परिषद् (राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम द्वारा अनुमोदित),
 - (iii) एक समीक्षा एजेंसी (SSC या NSDC द्वारा अनुमोदित),
 - (iv) प्रशिक्षण साझेदार [खण्ड कुशलता परिषद् (SSC) या राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम (NSDC) द्वारा अनुमोदित], के सम्बन्ध में प्रदान सेवा—

- (a) राष्ट्रीय कुशलता विकास कार्यक्रम (NSDC द्वारा क्रियान्वित),
 (b) राष्ट्रीय कुशलता प्रमाणन तथा मौद्रिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वृत्ति कुशलता विकास कोर्स,
 (c) राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम द्वारा अनुमोदित या लागू कोई अन्य योजना।
13. **खेलकूद सेवाएँ—**
 (a) मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा आयोजित खेलकूद स्पर्धा में सहभागिता के लिए एक खिलाड़ी, रेफरी, अम्पायर, कोच या दल प्रबन्धक के रूप में एक व्यक्ति,
 (b) मान्यता प्राप्त खेलकूद संगठन द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त खेलकूद संगठन को प्रदान सेवा।
14. **खेलकूद घटनाओं के आयोजन सम्बन्धी सेवाएँ—**
 (a) राष्ट्रीय क्रीड़ा फेडरेशन या इससे सम्बद्ध फेडरेशन जहाँ पर सहभागी दल या व्यक्ति किसी जिला, राज्य या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,
 (b) भारतीय विश्वविद्यालय एसोसियेशन अन्तर्विश्वविद्यालय सपोर्ट बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल फेडरेशन भारतीय अर्द्ध ओलम्पिक समिति या विशेष ओलम्पिक भारत,
 (c) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड,
 (d) भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेल के रूप में,
 (e) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना।
15. **निर्माण, इरेक्शन कमिश्निंग, स्थापना, पूर्णता, फिटिंग आउट, मरम्मत, अनुरक्षण पुनरोद्धार या फेरबदल सम्बन्धी सेवाएँ—**ऐसी सेवाएँ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की गई हैं—
 (a) वाणिज्य उद्योग या किसी अन्य व्यापार के अतिरिक्त उपयोग के लिए सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य,
 (b) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व साइट तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्मारक, राष्ट्रीय महत्व की पुरातत्व साइट या अवशेष, पुरातत्व खुदाई या पुरानी वस्तु,
 (c) (i) एक शिक्षण,
 (ii) क्लीनिकल,
 (iii) एक कला या सांस्कृतिक स्थापना।
 (d) नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य,
 (e) (i) जलापूर्ति,
 (ii) जल-उपचार,
 (iii) सीवरेज उपचार अथवा प्लांट।
 (f) उक्त अधिनियम की धारा 65B का वाक्य 44 का स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट उनके कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए या स्वयं उपयोग के लिए आवासीय परिसर।
16. **निर्माण इरेक्शन, कमिश्निंग, स्थापना, पूर्णता, फिटिंग आउट, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण या परिवर्तन सम्बन्धी सेवाएँ—**
 (a) सड़क परिवहन के लिए सड़क, पुल, सुरंग आदि (सामान्य जनता के उपयोग के लिए),
 (b) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन या राजीव आवास योजना के अन्तर्गत एक योजना से सम्बन्धित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य,
 (c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत एक इकाई द्वारा स्वामित्व में भवन जिसका उपयोग सामान्य रूप से धार्मिक उपयोग में हो,
 (d) एक प्रदूषण नियंत्रण या गंद उपचार प्लांट (जो किसी कारखाने या शवदाह गृह से सम्बन्धित न हो)।
17. **निर्माण इरेक्शन कमिश्निंग या स्थापना सम्बन्धी सेवाएँ—**
 (a) मोनो रेल या मेट्रो सहित हवाई अड्डा बन्दरगाह या रेलवे,
 (b) एकल आवास इकाई (आवासीय परिसर के भाग को छोड़कर),
 (c) आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा बनायी निर्वहनीय गृह निर्माण साझेदारी योजना के अन्तर्गत एक गृह परियोजना में 60 वर्ग मीटर प्रति मकान कार्पेट क्षेत्र तक न्यून लागत मकान,

- (d) कृषि उत्पाद के लिए भराई भंडारण अधोसंरचना (कोल्ड स्टोरेज सहित),
- (e) खाद्य पदार्थ के रूप में कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग इकाई के लिए यंत्रिकृत खाद्य अनाज हैडलिंग सिस्टम मशीनरी (एल्कोहलिक पेय को छोड़कर)।
18. **कॉपीराइट सेवाएँ—**
- (a) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के वाक्य (a) के अधीन कॉपीराइट्स के अस्थायी अन्तरण या उपयोग की स्वीकृत एवं उपयोग जिसका सम्बन्ध मूल साहित्यिक, नाटकीय संगीत या कलात्मक कार्य से हो,
- (b) सिनेमा हॉल में प्रदर्शन के लिए सिनेमाटोग्राफ/फिल्म।
19. (i) संगीत,
- (ii) नृत्य,
- (iii) थियेटर की लोक या शास्त्रीय कला स्वरूप दी गई सेवाएँ इसमें ब्रांडएम्बेसडर की सेवा शामिल नहीं है।
20. **समाचार संग्रहण सम्बन्धी सेवाएँ—**स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया द्वारा समाचार संग्रहण सम्बन्धी सेवाएँ,
21. **होटल सेवाएँ—**होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब, कैम्पसाइट आदि द्वारा 1,000 प्रतिदिन या कम आवास इकाई घोषित किराये के आधार पर निवास की सेवाएँ,
22. **रेस्टोरेण्ट सेवाएँ—**किसी रेस्टोरेण्ट या मेस या खानपान केन्द्र द्वारा भोज्य या पेय पदार्थ के प्रावधान सम्बन्धी सेवाएँ, निम्नलिखित को छोड़कर—
- (i) स्थापना के किसी भाग में वातानुकूलित सुविधा,
- (ii) मद्य पेय पदार्थ देने का अनुज्ञापन हो।
23. **रेलमार्ग या जलमार्ग द्वारा माल परिवहन सेवाएँ (भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक)—**
- (a) रक्षा एवं सेना उपकरण,
- (b) कृषि उत्पाद,
- (c) पंजीकृत समाचार पत्र, पत्रिकाएँ,
- (d) रसायनिक उर्वरक, खाद्य एवं खल,
- (e) ओटी हुई कपास एवं कपास की गाठें,
- (f) आटा, चाय, काफी, गुड़, चीनी, दूध, नमक, खाद्य तेल (एल्कोहल पेय को छोड़कर),
- (g) आपदाओं हेतु राहत सामग्री,
- (h) रेलवे यंत्र एवं सामग्री।
24. **माल परिवहन एजेंसी द्वारा माल परिवहन सम्बन्धी सेवाएँ—**
- (a) वस्तु का माल परिवहन प्रेषण पर सकल राशि 1,500 से अधिक नहीं,
- (b) माल या वस्तु एक प्रेषण के लिए सभी माल का परिवहन के लिए वसूल सकल राशि 750 से अधिक न हो,
- (c) कृषि उत्पाद,
- (d) रक्षा एवं सेना उपकरण,
- (e) ओटी हुई कपास तथा कपास की गाठें,
- (f) आपदा हेतु राहत सामग्री,
- (g) रसायनिक उर्वरक, खाद्य एवं खल,
- (h) पंजीकृत समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ,
- (i) आटा, चाय, काफी, गुड़, चीनी, दूध, उत्पाद, खाद्य पेय (एल्कोहॉलिक पेय को छोड़कर)।
25. **किराये पर देने सम्बन्धी सेवाएँ—**
- (a) राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसा परिवहन जो 12 से अधिक यात्री परिवहन के लिए हो,
- (b) वस्तु परिवहन एजेंसी, वस्तुओं के परिवहन का साधन।

26. सामान सहित या बिना सामान यात्रियों के परिवहन सम्बन्धी सेवाएँ—
- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा अथवा पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में स्थित हवाई जहाज पर चढ़ना या उतरना,
 - गैर-वातानुकूलित यात्री परिवहन के लिए अनुबंधित गाड़ी जो पर्यटन टूर, चार्टर या किराये पर हो
 - रोप-वे केवल कार या वायु ट्रामवे।
27. सरकार स्थानीय निकाय या सरकारी प्राधिकरण को निम्न के द्वारा प्रदान सेवाएँ—
- एक जहाज की मरम्मत या रख रखाव,
 - जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य संरक्षण, सोलिडवेस्ट प्रबन्धन, झुग्गी झोंपड़ी सुधार एवं उन्नयन जैसे कार्य जो सामान्यतः नगरपालिका द्वारा किये जाते हैं।
28. निर्दिष्ट योजना में सेवाओं का प्रावधान सामान्य बीमा एवं जीवन बीमा व्यवसाय सम्बन्धी
29. इन्क्यूबैटी (Incubatee) द्वारा प्रदत्त सेवाएँ जिसका सकल आवर्त वित्तीय वर्ष में 50 लाख तक हो निम्न शर्तें पूरी होने पर—
- पिछले वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त 50 लाख से अधिक न हो,
 - इन्क्यूबैटी (Incubatee) के रूप में समझौता की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो।
30. एक गैर निगमित संस्था या प्रभाव में किसी समय के लिए किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत गैर लाभ इकाई द्वारा अपने सदस्यों को अंशदान का हिस्सा या प्रभार की प्रतिपूर्ति के द्वारा सेवा—
- व्यापार संघ के रूप में,
 - सेवा-कर लगाने से विमुक्त किसी गति विधि को चलाने के प्रावधान,
 - किसी गृह समिति या रिहायशी परिसर द्वारा अपने सदस्यों के मध्य साझा उपयोग हेतु अधिकतम 5,000 प्रति सदस्य तक किसी तृतीय पक्षकार से वस्तु या सेवाओं की आउट सोर्सिंग करना।
31. निर्माकित व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रासंगिक स्थिति में सेवाओं का प्रावधान सेवा कर से मुक्त है—
- स्टॉक ब्रोकर का अधिकृत व्यक्ति या उपदलाल,
 - कमोडिटी (Commodity) एक्सचेंज के सदस्य का अधिकृत व्यक्ति,
 - म्यूचुअल फंड या एसेस मैनेजमेंट कम्पनी का म्यूचुअल फंड एजेण्ट,
 - म्यूचुअल फंड या एसेस मैनेजमेंट कम्पनी का वितरक,
 - विपणन एजेण्ट या बिक्री एजेण्ट को लॉटरी टिकट की बिक्री,
 - SIM कार्ड या रिचार्ज कूपन वाउचर्स की बिक्री का एजेण्ट,
 - व्यवसाय एजेण्ट या ग्रामीण क्षेत्र में किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी बीमा कम्पनी के व्यवसाय संयोजक,
 - कार्य संविदा के द्वारा सेवा में प्रदान करने वाले उप ठेकेदार (sub-contraction) द्वारा कार्य अनुबन्ध सेवा को प्रदान करने वाले एक अन्य ठेकेदार को जो विमुक्त हो।
32. निम्न के लिए जॉब (Job) कार्य के रूप में मध्यवर्ती उत्पाद प्रक्रिया चलाना—
- कृषि, मुद्रण या छपाई, टैक्सटाईल प्रक्रियाकरण,
 - हीरे जवाहरात की कटाई एवं पालिशिंग या स्वर्ण या केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 71 के अन्तर्गत मूल्यवान धातुओं, असाधारण एवं जड़ाऊ आभूषण,
 - वस्तु जिस पर निर्माता प्रमुख द्वारा शुल्क भुगतान योग्य हैं,
 - वित्तीय वर्ष में एक करोड़ पचास लाख की निर्दिष्ट प्रोसेस की करयोग्य सेवा का योग मूल्य तक साईकिल या सिलाई मशीन के निर्माण के दौरान इलैक्ट्रोप्लेटिंग, जिकप्लेटिंग, एनोडाइजिंग, उष्मोपचार पाउडर, कोटिंग, पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग सहित।
33. भारत से बाहर व्यापार प्रदर्शनी के आयोजक द्वारा किसी व्यक्ति को सेवा देना।
34. निम्न रूप में टेलीफोन कॉल करने की सेवाएँ—
- विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन,
 - स्थानीय कॉल के लिये गारण्टिड सार्वजनिक टेलीफोन परिचालन,
 - हवाई अड्डा या अस्तपाल पर निःशुल्क टेलीफोन (बिल जारी नहीं किया हो)।

35. Brovine पशुओं के वध के द्वारा सेवा,
36. IRDA द्वारा प्रदत्त सेवाएँ,
37. SEBI द्वारा प्रदत्त सेवाएँ,
38. कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F.) संगठन द्वारा कर्मचारियों को प्रदत्त सेवाएँ,
39. सार्वजनिक सुविधा जैसे—स्नान-गृह, बाँथरूम, प्रसाधन गृह, मूत्रालय की सुविधाओं का प्रावधान,
40. सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएँ,
41. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अधीन कर्मचारियों को प्रदत्त सेवाएँ,
42. किसी चलते हुए प्रतिष्ठान को पूर्णतः या उसके स्वतंत्र भाग के अन्तर्ण की सेवाएँ,
43. संविधान के अनुच्छेद 243 W के अन्तर्गत नगरपालिका को सौंपे कार्य के सम्बन्ध में किसी गतिविधि के द्वारा सरकारी प्राधिकरण द्वारा सेवा,
44. ओटी हुई कपास या कपास की गाँठें, चावल के लदान, उतराई, पैकिंग, भण्डारण सम्बन्धी सेवाएँ,
45. विदेशी मुद्रा आरक्षण के प्रबन्धन के सम्बन्ध में भारत से बाहर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त सेवा,
46. पूर्ण रूप से भारत से बाहर संचालित टूर के सम्बन्ध में विदेशी पर्यटक को टूर के सम्बन्ध में सेवा,
47. बायो तकनीकी उद्योग शोध सहायता परिषद् द्वारा इन्क्यूबेटीज को प्रदान सेवा,
48. भारत के कृषि विभाग द्वारा कृषि सहकारिता के अधीन शीत शृंखला विकास के राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा प्रदत्त सेवाएँ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. वृहद् विमुक्तियाँ को विस्तार से समझाइये।
Explain Mega Exemptions in brief.
2. छूट से क्या आशय है? वृहद् छूटों का वर्णन कीजिए।
What is meant by exemptions? Explain various types of mega exemptions.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)

1. निम्न को समझाइये—
Explain :
(i) शिक्षा सेवाएँ (Education services),
(ii) कौशल विकास सेवाएँ (Skill development services),
(iii) खेलकूद सेवाएँ (Sports services)।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. वृहद् विमुक्तियाँ अधिसूचना संख्या है—
Mega Exemption Notification Number is :
(a) 25/2012 (b) 30/2011
(c) 29/2010 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
2. होटल सेवाएँ वृहद् विमुक्तियों में शामिल हैं यदि—
Hotel services are included in mega exemption if :
(a) ` 1,000 प्रतिदिन या कम (\leq 1,000 per day or less)
(b) ` 2,000 प्रतिदिन या कम (\leq 2,000 per day or less)
(c) ` 3,000 प्रतिदिन (\leq 3,000 per day)
(d) ` 1,500 प्रतिदिन (\leq 1,500 per day)

[उत्तर—1. (a), 2. (a).]

5

सेवा कर सम्बन्धी प्रावधान या सेवा कर का भुगतान [PROVISIONS OF SERVICE TAX OR PAYMENT OF SERVICE TAX]

पंजीकरण सम्बन्धी प्रावधान (REGISTRATION PROVISIONS)

अनिवार्य पंजीयन (Compulsory Registration)—पंजीकरण (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 69 तथा सेवा कर नियम, 1994 का नियम 4)—ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी है। वह निर्धारित समय में पंजीकरण फार्म ST-1 द्वारा सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद के अधीक्षक को आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन 30 दिन के अन्दर करना चाहिए तथा आवेदन में करदाता के व्यापारिक स्थल एवं निवास स्थान का प्रमाण सहित विवरण होना चाहिए।

पंजीयन के आवेदन का प्रारूप—पंजीकरण के लिए संशोधित प्रारूप ST-1 में आवेदन किया जायेगा। इस आवेदन में निम्न विवरण होने चाहिए—

- आवेदक का नाम तथा पता,
- आवेदक का दूरभाष नम्बर/फैक्स संख्या/ई-मेल,
- आवेदक का स्थायी खाता संख्या (PAN),
- आवेदक की फर्म का नाम, पता,
- साझेदार/संचालकों का नाम, पता,
- आवेदन की श्रेणी,
- पंजीयन की प्रकृति,
- सेवा की प्रकृति,
- अधिकृत व्यक्ति की दशा में पावर ऑफ एटार्नी।

पंजीकरण की समय सीमा—

सेवा देने वाला

करयोग्य सेवा प्रदान करने पर

इनपुट वितरक के रूप में

सेवा कर योग्य होने के 30 दिन के अन्दर

व्यवसाय आरम्भ करने के 30 दिन के अन्दर

व्यवसाय आरम्भ करने के 30 दिन के अन्दर

पंजीयन प्रमाण-पत्र का निर्गमन [नियम 4(5)]—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक द्वारा आवेदक के आवेदन का सत्यापन किया जायेगा तथा आवेदन करने की तिथि से 7 दिन के अन्दर फार्म ST-2 में प्रमाण-पत्र निर्गमित किया जायेगा। यदि 7 दिन के अन्दर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदन स्वीकृत हो गया है।

पंजीयन प्रमाण-पत्र का हस्तान्तरण—जब कोई करदाता अपने व्यवसाय का हस्तान्तरण कर देता है तब ST-2 पर मिला पंजीयन प्रमाण-पत्र हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में नये करदाता को अपने लिए नया पंजीयन प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होता है।

पंजीयन प्रमाण-पत्र का समर्पण—यदि कोई करदाता अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को बन्द कर देता है। तब ऐसी दशा में करदाता को पंजीयन प्रमाण-पत्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर करदाता, कर दायित्व के लिए बाध्य बना रहेगा।

पंजीयन प्रमाण-पत्र में परिवर्तन या संशोधन (सेवा कर नियम 1994 का नियम 4(5A))—यदि पंजीयन प्रमाण-पत्र को प्राप्त करते समय फार्म ST-1 में करदाता द्वारा दी गई सूचना या विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो करदाता द्वारा परिवर्तन की तिथि से 30 दिन के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त को लिखित सूचना देना आवश्यक है किन्तु करदाता को ST-2 की मूल प्रतिलिपि को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ST-2 की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करने होगी।

पंजीयन प्रमाण-पत्र का निरस्त होना—यदि कोई करदाता अपने व्यवसाय को चलाना बन्द कर देता है तो इसकी सूचना तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र को समर्पित किया जाना चाहिए। पंजीयन को निरस्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए इसके उपरान्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक यह निश्चित करेगा कि करदाता द्वारा देय सभी राशियों का भुगतान हो गया है या नहीं। यदि सभी भुगतान हो चुके हैं तब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक ऐसे पंजीयन प्रमाण-पत्र को निरस्त करेगा।

पैन आधारित सेवा कर कोड संख्या—विभाग ने पैन (PAN) पर आधारित सेवा कर को प्रस्तुत किया है। इसके लिए सभी संस्थाओं को PAN को प्राप्त करना अनिवार्य है। सेवा कर कोड 15 अंक अल्फा न्यूमैरिक कोड है प्रथम 10 अंक PAN के होंगे अगले दो अक्षर SD होंगे तथा अन्तिम तीन अंकीय कोड (Numeric Code) जैसे—001, 002, 003 आदि होंगे।

SD पहले ST था किन्तु अब ST के स्थान पर SD कर दिया गया है।

केन्द्रीयकृत पंजीकरण [नियम 4(2) एवं नियम 4(3)]—केन्द्रीयकृत पंजीयन उस समय आवश्यक होता है जब व्यक्ति सेवा कर चुकाने के लिए दायी हैं—

- (i) व्यक्ति द्वारा सेवा एक से अधिक परिसरों से प्रदान की जाती है,
- (ii) सेवा प्राप्तकर्ता एक से अधिक परिसरों से सेवा प्राप्त करता है,
- (iii) इस प्रकार की सेवा में लगे एक से अधिक परिसर जो व्यक्ति को सेवा कर चुकाने के लिए दायी बनाता हो।

उपरोक्त सेवाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीयकृत बिलिंग सिस्टम या केन्द्रीयकृत लेखांकन सिस्टम हैं तथा केन्द्रीयकृत बिलिंग सिस्टम या केन्द्रीयकृत लेखांकन सिस्टम एक या एक से अधिक परिसर में स्थित हैं, अपने विकल्प पर इस प्रकार परिसर को पंजीकृत करता है जहाँ केन्द्रीयकृत बिलिंग सिस्टम या केन्द्रीयकृत लेखांकन सिस्टम स्थित है।

विकेन्द्रीयकृत पंजीकरण या बहुस्थान का पंजीकरण [नियम 4(3A)]—यदि कोई करदाता करयोग्य सेवा प्रदान कर रहा है किन्तु परिसर में कोई केन्द्रीयकृत बिलिंग सिस्टम या केन्द्रीयकृत लेखांकन सिस्टम नहीं है तो करदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को पंजीकरण के लिए अलग से आवेदन करेगा।

पंजीकरण के लिए एकल आवेदन [नियम 4(4)]—यदि कोई करदाता एक से अधिक करयोग्य सेवा प्रदान कर रहा है। तब उसे अलग-अलग पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि सभी करयोग्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एकल आवेदन पर्याप्त होता है।

बिल, बीजक या चालान का निर्गमन [नियम 4(A)]

[(Issue of Bill, Invoice or Challan (Rule 4(A))]

किसी करयोग्य सेवा को प्रदान करने वाला व्यक्ति या उसका अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षरित बीजक, बिल या चालान निर्गमित करेगा।

बीजक बिल या चालान की निम्न से 30 दिन के बाद निर्गमित नहीं किया जायेगा—

- (i) करयोग्य सेवा की पूर्णता की तिथि
 - (ii) करयोग्य सेवा के मूल्य की भुगतान प्राप्ति
- } जो भी पहले हो

बीजक में निम्न विवरण होना चाहिए—

- (i) सेवा देने वाले का नाम, पता तथा पंजीकरण संख्या,

- (ii) सेवा प्राप्तकर्ता का नाम, पता,
- (iii) करयोग्य सेवा का विवरण,
- (iv) भुगतान योग्य सेवा कर।

आदा (इनपुट) सेवा वितरक का पंजीकरण

(Registration of Input Service Distributor)

किसी भी सेवा प्रदानकर्ता का मुख्य कार्यालय एक स्थान पर हो सकता है तथा उसकी शाखाएँ विभिन्न स्थानों पर हो सकती हैं। जिनके द्वारा इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में भुगतान किया जा सकता है। इनपुट सेवा वितरकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए इसके लिए साधारण पंजीकरण प्रक्रिया अपनायी जाती है।

आदा (इनपुट) का अर्थ (Meaning of Input)

- (i) अन्तिम उत्पाद का निर्माता या फैक्टरी में प्रयुक्त सभी वस्तु,
- (ii) कोई वस्तु जिसे अन्तिम उत्पाद के मूल्य में शामिल किया हो तथा वस्तु को अन्तिम उत्पाद के लिए निःशुल्क वारण्टी देने के लिए प्रयोग किया हो,
- (iii) किसी आउटपुट सेवा को प्रदान करने में प्रयुक्त सभी वस्तु,
- (iv) कैप्टिव उपयोग के लिए विद्युत।

आदा (इनपुट) सेवा वितरक (Input Service Distributors)—शाखाएँ जो इनपुट सेवाओं पर किये गये भुगतानों को मुख्य कार्यालय को समायोजन के लिए वितरित करते हैं, इनपुट सेवा वितरक कहलाते हैं।

- इनपुट सेवा वितरक का पंजीकरण अनिवार्य है। क्रेडिट को पास करने के लिए इनपुट सेवा वितरक को सेवा कर नियम 4A की अनुपालना के लिए सेवा कर पंजीकरण को प्राप्त करना होगा। सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 9(10) के अन्तर्गत अधीक्षक के यहाँ अर्द्धवार्षिक विवरणी को दाखिल करना होगा।

सेवा कर भुगतान की देय तिथि [नियम 6(11)]—सेवा कर नियम, 1994 का नियम 6(1) के अनुसार, किसी व्यक्ति एकल फर्म या साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व की दशा में—

क्र.सं.	विवरण	सेवा कर भुगतान की देय तिथि
1.	सेवा कर भुगतान ऑनलाइन करने पर	अगले तिमाही माह का 6वाँ दिन
2.	मार्च माह में प्राप्त सेवाओं के सम्बन्ध में मूल्यांकित राशि पर	31 मार्च

अन्य किसी दशा में (कम्पनी आदि)

क्र.सं.	विवरण	सेवा कर भुगतान की देय तिथि
1.	सेवा कर भुगतान ऑनलाइन होने पर	अगले माह का 6वाँ दिन
2.	मार्च माह में प्राप्त सेवा के सम्बन्ध में	31 मार्च

सेवा कर की विद्युतीकरण लेखांकन पद्धति

या

सेवा कर की इलैक्ट्रॉनिक लेखांकन पद्धति

(Electronic Accounting System of Service Tax)

इसके अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान किसी भी स्थान से किसी भी समय करने की सुविधा होती है। राशि भुगतान करने के

बाद ऑनलाइन प्राप्त रसीद भी करदाता को प्राप्त हो जाती है। इस मामले में करदाता को TR-6 चालान की पहले चार प्रतिलिपियों के स्थान पर GAR-7 की एकल कापी का उपयोग करके कर का भुगतान करना होगा।

इलैक्ट्रॉनिक लेखांकन सिस्टम के लाभ—

इस पद्धति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं—

- (i) केवल एक प्रतिलिपि का उपयोग,
- (ii) चालान पहचान संख्या का उपयोग करके भुगतान की ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा।

सेवा प्राप्तकर्ता, प्रतिलोम प्रभार प्रणाली

(SERVICE RECEIVER, REVERSE CHARGE MECHANISM)


नियम 2(1)(d) के अनुसार निम्न मामलों में सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा कर भुगतान करने का दायी है—

क्र.सं.	सेवा प्रदानकर्ता तथा सेवा की प्रकृति	सेवा कर भुगतान करने के लिए दायी
1.	सीमा बीमा व्यवसाय	सेवा प्राप्तकर्ता या बीमाकर्ता
2.	माल परिवहन एजेन्सी	भाड़ा के भुगतान के लिए दायी निर्दिष्ट प्रेषक या प्रेषित
3.	बैंकिंग कम्पनी	सेवा प्राप्तकर्ता
4.	एक कम्पनी, या निगमित संस्था	सेवा प्राप्तकर्ता
5.	गैर-करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा तथा करयोग्य क्षेत्र में स्थित सेवा प्राप्तकर्ता	सेवा प्राप्तकर्ता
6.	करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यापारिक इकाई	सेवा प्राप्तकर्ता

आंशिक प्रतिलोम प्रभार प्रणाली

[PARTIAL REVERSE CHARGE]

अधिसूचना संख्या 30/2012 दिनांक 20-06-2012 के अन्तर्गत नवीन आंशिक प्रतिलोम प्रभार निम्नलिखित पर लागू होता है :



आंशिक प्रतिलोम सम्बन्धी सेवाएँ—

- (1) यात्री परिवहन के लिए निर्मित मोटर परिवहन,
- (2) मानव शक्ति की पूर्ति,
- (3) संकर्म ठेका निष्पादन।

सेवा प्रदानकर्ता एवं सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा देय राशि का प्रतिशत

क्र.सं.	विवरण	सेवा प्रदानकर्ता (देय %)	सेवा प्राप्तकर्ता (देय %)
1.	मोटर वाहन के लिए	50%	50%
2.	मानव शक्ति की पूर्ति	25%	75%
3.	संकर्म ठेका निष्पादन	50%	50%

सेवा कर का अग्रिम भुगतान

[नियम 6(A)]

[ADVANCE PAYMENT OF SERVICE TAX]

सेवा कर नियम 6(1A) करदाता को सेवा कर के अग्रिम भुगतान की सुविधा देती है। कोई भी सेवा कर दायी करदाता अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है तथा भविष्य में अपने कर दायित्व में ऐसी राशि का समायोजन कर सकता है।

ऐसी सुविधा की प्रक्रिया निम्न है—

- (i) सेवा कर के अग्रिम भुगतान की सूचना 15 दिन के अन्दर न्यायाधिकारी केन्द्रीय उत्पाद के अधीक्षक को दें।
- (ii) अग्रिम कर की राशि को दाखिल की जाने वाली विवरणी में समायोजन का विवरण दिया जाए।

अत्यधिक सेवा कर भुगतान का समायोजन

[ADJUSTMENT OF PAYMENT OF EXCESS SERVICE TAX]

[नियम 6(3), (4) तथा (4A)]

निम्न दशाओं में सेवा कर के अत्यधिक भुगतान की सम्भावना है—

1. करदाता ने बीजक जारी किया हो या कोई भुगतान प्राप्त किया हो परन्तु—
 - (A) करयोग्य सेवा का पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रदान नहीं किया है।
 - (B) बीजक की राशि की पुनः सौदेबाजी हो।
2. करदाता जमा तिथि पर किसी माह या तिमाही के लिए भुगतान योग्य राशि ज्ञात नहीं कर सका हो
3. किसी अन्य कारण से अत्यधिक राशि देय है।

सेवा कर का भुगतान देरी से करने पर ब्याज—सेवा कर का भुगतान देरी से करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर निम्न प्रकार है—

भुगतान में देरी की अवधि	लघु क्षेत्र करदाता को छोड़कर अन्य के लिए	लघु क्षेत्र करदाता के लिए
6 माह तक	18%	15%
6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	6 माह की देरी तक 18% प्रतिवर्ष 6 माह से अधिक देरी के लिए 24% प्रतिवर्ष	6 माह तक की देरी के लिए 15% प्रतिवर्ष 6 माह से अधिक देरी के लिए 21% प्रतिवर्ष
1 वर्ष से अधिक देरी के लिए	6 माह तक देरी के लिए 18% प्रतिवर्ष 6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक की देरी के लिए 24% प्रतिवर्ष 1 वर्ष से अधिक देरी के लिए 30% प्रतिवर्ष	6 माह तक की देरी के लिए 15% प्रतिवर्ष 6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक देरी के लिए 21% प्रतिवर्ष 1 वर्ष से अधिक देरी के लिए 27% प्रतिवर्ष

- लघु क्षेत्र करदाता से आशय जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में करयोग्य सेवा का मूल्य ₹ 60 लाख से अधिक नहीं है।

सेवा कर सम्बन्धी विशेष प्रावधान

[SPECIAL PROVISIONS FOR PAYMENT OF SERVICE TAX]

1. वायु यात्रा एजेंट की दशा में—

[नियम 6 (7)]

विकल्प 1—ग्राहक से वसूल या एअरलाइन से प्राप्त कमीशन तथा अन्य प्रभार का 14% की दर पर (1.6.2016 से 14% के स्थान पर 15% होगा।)

विकल्प 2-

क्र. सं.	विवरण	देय सेवा कर
1.	घरेलू बुकिंग	मूल किराये का 0.7%
2.	अन्तर्राष्ट्रीय बुकिंग	मूल किराये का 1.4%

- मूल किराए से आशय हवाई किराए का वह भाग जिस पर सामान्यतः कमीशन का भुगतान एअरलाइन द्वारा वायु यात्रा एजेंट को किया जाता है।
- एक बार विकल्प का प्रयोग किए जाने के बाद उस वित्त वर्ष में उस श्रेणी के सम्बन्ध में विकल्प में किसी भी दशा में परिवर्तन स्वीकृत नहीं होगा।

2. जीवन बीमा व्यवसायकर्ता की दशा में-

[नियम 6(A)]

निम्न स्थितियों में बीमाकर्ता को सेवा कर का भुगतान करना होगा-

- जब बीमाधारक द्वारा समस्त प्रीमियम का भुगतान जीवन बीमा में जोखिम कवर की तरह है।
- जब भुगतान सकल प्रीमियम निवेश राशि सहित है तथा बीमाधारक को सेवा देते समय इस प्रकार की राशि के बारे में सूचना दे दी गई हो।

जब सकल प्रीमियम में निवेश राशि को अलग से सूचित नहीं किया हो-

- इस दशा में सेवा कर समस्त प्रीमियम राशि का 14% (01.06.2016 से 15%) की दर से भुगतान योग्य है।
- इस दशा में 14% (01.06.2016 से 15%) की दर से सेवा कर चुकाने के लिए दायी होगा।
- इस दशा में बीमाकर्ता के पास निम्न विकल्प हैं-

(A) प्रथम वर्ष में बीमाधारक से वसूल सकल प्रीमियम का 3.5% तथा

(B) बाद के वर्षों में वसूल सकल प्रीमियम का 1.75%

3. विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय सेवा (मुद्रा परिवर्तन सहित)-

[नियम 6 (7B)]

- जब विनिमय की गई कोई भी मुद्रा (करेंसी) भारतीय न हो तो कुल राशि पर 1% की दर से संगणित राशि।
- अन्य दशा में-

(A) ₹ 1,00,000 तक विनिमय करेंसी 0-1% विनिमय कृत राशि का 0-12% (न्यूनतम ₹ 30) जो भी अधिक हो।

(B) ₹ 1,00,000 से 10,00,000 तक ₹ 120 + विनिमयकृत राशि का 0-06%

(C) ₹ 10,00,000 से अधिक ₹ 660 + विनिमयकृत राशि का 0-012% अथवा ₹ 6000 जो भी कम हो।

बड़ी करदाता इकाई (Large Tax Payer Unit)

बड़ी करदाता इकाई से आशय निम्न है :

- (1) एक से अधिक कार्यालय होने पर
- (2) प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालनकर्ता होने पर
- (3) पंजीकृत व्यक्ति होने पर
- (4) आयकर करदाता हो जिस पर PAN है।

बड़ी करदाता इकाई में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया हो-

- (अ) सेवाकर - ₹ 5 करोड़ या अधिक
- (ब) अग्रिम आयकर - ₹ 10 करोड़ या अधिक
- (स) केन्द्रीय उत्पाद कर - ₹ 5 करोड़ या अधिक

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सेवा कर भुगतान सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानों को समझाइए।
Explain the provisions regarding payment of Service Tax.
2. कर-योग्य सेवा के प्रदानकर्ता के पंजीकरण सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं?
What are the provisions for registration of a taxable service provider?
3. सामान्यतः सेवा प्रदाता सेवाकर भुगतान के लिए दायी होता है। क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं?
Generally a service provider is liable to pay service tax. Are there any exceptions to this rule?
4. सेवाकर भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
Mention the various provisions of payment of service tax.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

टिप्पणी लिखें (Write short notes on) :

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का समर्पण (Surrender of Registration Certificate)।
2. सेवा कर का देरी से भुगतान (Reverse charge mechanism)
3. सेवा कर कोड सं. [Service Tax Code (STC)]।
4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन (Amendments in Registration Certificate)।
5. इनपुट सेवा वितरक का पंजीकरण (Registration of Input Service Distributor)।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

सही विकल्प चुनें (Select the right option) :

1. सेवा कर पंजीयन निर्देशित होता है—
Service Tax Registration is governed under :
(a) धारा 69 द्वारा (Section 69) (b) नियम 4 द्वारा (Rule 4)
(c) (a) तथा (b) दोनों ((a) and (b) both) (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
2. पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्गमित किया जाता है—
Registration Certificate is issued :
(a) प्रार्थना-पत्र के 7 दिन के अन्दर (Within 7 days of application)
(b) यदि (a) नहीं तो निर्गमित मान लिया जाएगा (If not (a), deemed issued)
(c) प्रारूप ST-2 (In Form ST-2)
(d) ये सभी (All these)
3. पंजीयन प्रारूप ST-1 के द्वारा प्रयुक्त होता है—
Form ST-1 is used for registration by :
(a) सेवाप्रदाता (Service Provider) (b) सेवा प्राप्तकर्ता (Service Receiver)
(c) इनपुट सेवा वितरक (Input Service Distributor) (d) ये सभी (All of these)

[उत्तर—1. (c), 2. (d), 3. (d).]


6

करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन [VALUATION OF TAXABLE SERVICES]

प्रारम्भिक : किसी भी सेवा पर कर लगाने से पूर्व करयोग्य सेवा का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। क्योंकि यदि कोई सेवा बिना प्रतिफल के या वृहद् विमुक्तियों या अन्य विमुक्तियों में शामिल है तो उसका मूल्यांकन शून्य होगा, ऐसी दशा में सेवा कर भी शून्य होगा।

करयोग्य सेवा का मूल्यांकन (Valuation of Taxable Service)

सेवाकर (मूल्यांकन) नियम, 2006 के सम्बन्ध में नई प्रणाली के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं—



1. एक वृहद् (मेगा) विमुक्ति अधिसूचना सं. 26/2012 ST दिनांक 20.06.2012 को घोषित की गई है।
2. अन्य विमुक्तियों के सम्बन्ध में नई अधिसूचना 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012 को घोषित की गई है।
3. सभी पूर्व प्रचलित विमुक्तियों (अधिसूचनाओं) को समाप्त कर दिया गया है।
4. सेवा कर (मूल्यांकन) नियम 6 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।
5. छोटे सेवा प्रदानकर्ता जिनकी पिछले वित्त वर्ष की करयोग्य सेवा का मूल्य 10 लाख से कम हो वे सेवाकर से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।

सेवा कर लगाने के लिए करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन—

(धारा 67)

(Valuation of Taxable Services in Long of Service Tax)

धारा 67 के अनुसार, इस सम्बन्ध में प्रावधान निम्नलिखित हैं—

1. **प्रतिफल का धन में होना**—सेवा प्रदान करने वाले द्वारा दी जा रही या दी जा चुकी या दी जाने वाली सेवा, तब करयोग्य सेवा का मूल्य वसूली गई सकल राशि होगी।
2. **अस्पष्ट प्रतिफल**—करयोग्य सेवाओं का प्रतिफल अस्पष्ट होने पर ऐसी सेवाओं का मूल्य उल्लेख में की गई निर्धारित राशि होगी।
3. **जहाँ प्रतिफल पूर्णरूप से या आंशिक रूप से धन के रूप में न हो**—जहाँ किसी करयोग्य सेवा के लिए प्रतिफल पूर्णरूप से या आंशिक रूप से धन के रूप में न हो तब ऐसी सेवा का मूल्य, उस धनराशि पर लगे सेवाकर के साथ, प्रतिफल के बराबर होती है।
4. **वसूली गई सकलराशि में देय सेवा कर शामिल होना**—सेवा प्रदानकर्ता द्वारा दी जा चुकी या दी जाने वाली सेवा के लिए सकल वसूल राशि (सेवा कर सहित) ऐसी करयोग्य सेवा का मूल्य, ऐसी राशि (सेवा कर सहित), वसूल सकल राशि के बराबर होता है।

- (i) एक व्यक्ति जो करयोग्य सेवा को प्रदान करने के दौरान व्यय या लागत को उत्पन्न करने के लिए शुद्ध एजेण्ट के रूप में कार्यवाही करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता के साथ संविदात्मक समझौता करता है।
- (ii) शुद्ध एजेण्ट के रूप में प्राप्त किसी वस्तु या सेवा के स्वामित्व को धारण नहीं करता हो या उसका उद्देश्य है।
- (iii) इस प्रकार प्राप्त वस्तु या सेवा का उपयोग नहीं करता हो।
- (iv) इस प्रकार की वस्तु या सेवा को प्रदान करने में केवल वास्तविक राशि प्राप्त करता हो।

सेवा देने वाले द्वारा सेवा के प्राप्तकर्ता के शुद्ध एजेण्ट के रूप में उत्पन्न व्यय या लागत को निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा—

- (i) जब सेवा प्राप्त करने वाला किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए दायी हो।
- (ii) जब सेवा देने वाले द्वारा एजेण्ट के रूप में प्राप्त वस्तु या सेवा का उपयोग सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा ही किया गया हो।
- (iii) जब सेवा देने वाला वास्तव में वस्तु या सेवा का भुगतान प्राप्त करते समय सेवा प्राप्तकर्ता के एजेण्ट के रूप में कार्य कर रहा हो।
- (iv) जब सेवा देने वाले द्वारा किया गया ऐसा भुगतान बिल या बीजक में अलग से दिखाया गया हो।
- (v) जब सेवा देने वाला सेवा प्राप्तकर्ता से केवल उसी राशि को वसूल करता है जिसे उसके द्वारा तृतीय पक्ष को भुगतान किया गया है।
- (vi) जब सेवा प्राप्तकर्ता को इस बात की जानकारी हो कि सेवा देने वाला द्वारा जिस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान किया गया है। वह वस्तु या सेवा उसे प्राप्त होगी।
- (vii) जब सेवा प्राप्तकर्ता ने सेवा देने वाले को इस सन्दर्भ में भुगतान के लिए अधिकृत किया हो।
- (viii) जब सेवा प्राप्तकर्ता के एजेण्ट के रूप में तृतीय पक्ष से सेवा देने वाले द्वारा प्राप्त वस्तु या सेवा, प्रदत्त सेवा के अतिरिक्त हो जिसे वह अपने खाते में प्रदान करता है।

कमीशन, लागत आदि को शामिल करने या अलग करने सम्बन्धी दशाएँ (नियम 6) — धारा 67 के अनुसार करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल होगा—

- (i) दलाली या क्रय के द्वारा वसूल किया गया कमीशन, या प्रतिभूतियों की बिक्री (दलाली सहित) या किसी उपदलाल को स्टॉक दलाल द्वारा भुगतान किया गया कमीशन।
- (ii) बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक से वसूल की गई प्रीमियम की राशि
- (iii) कमीशन जो यात्रा ट्रेवल एजेण्ट द्वारा एअरलाइन से प्राप्त किया गया हो।
- (iv) रेलवे या ग्राहक द्वारा प्राप्त कमीशन की राशि
- (v) निर्माता से अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति जो निर्माता द्वारा किसी मोटरकार, हल्का मोटर वाहन या दोपहिया मोटर वाहन की सेवा करने के सम्बन्ध में हो।
- (vi) बीमा एजेण्ट द्वारा प्राप्त कमीशन
- (vii) अनुबन्ध की अवधि के बाद सेवा के प्रावधान के लिए डेमेज के रूप में वसूल राशि
- (viii) बीमा एजेण्ट द्वारा बीमा सेवा के सम्बन्ध में एजेण्ट को नियुक्त बीमाकर्ता द्वारा इस प्रकार के एजेण्ट को भुगतान कमीशन।

कमीशन, लागत आदि को करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल नहीं की जाने वाली दशाएँ—

- (i) रेल यात्रा एजेण्ट द्वारा दी गई सेवा के सम्बन्ध में संग्रहित रेल भाड़ा,
- (ii) दुर्घटनाग्रस्त क्षति (सेवा के प्रावधान से सम्बन्धित न होने पर),
- (iii) वायु यात्रा एजेण्ट द्वारा दी गई सेवा के सम्बन्ध में संग्रहित वायु यात्रा किराया,

7.	सामान सहित या बिना सामान रेल के द्वारा वस्तु तथा यात्रियों का परिवहन	70%	30%	शून्य
8.	₹ 1,000 प्रतिदिन या समतुल्य तथा निवास की एक इकाई वाले आवास या ठहरने के लिए सेवा	40%	60%	इनपुट पर कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं।

सेवाओं का निर्यात

(Export of Services)

धारा 66B के अनुसार कोई व्यक्ति सेवा कर चुकाने के लिए दायी है जब सेवा, करयोग्य क्षेत्र में प्रदान की जाती है। या प्रदाननीय हो।

सेवा का प्रावधान का स्थान नियम 2012 का नियम 3 के अनुसार एक सेवा का प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति होगी। सेवा का निर्यात की दशा में कोई सेवा कर भुगतान योग्य नहीं है क्योंकि सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत के बाहर देश में स्थित होगा। सेवा कर नियम का नियम 6A के अनुसार निम्न को सेवा का निर्यात माना जाएगा—

1. सेवा देने वाला करयोग्य क्षेत्र में हो,
2. सेवा का प्राप्त करने वाला भारत से बाहर हो,
3. नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवा न हो,
4. सेवा का प्रावधान का स्थान भारत से बाहर हो।

उदाहरण 1.

X सेवा कर करदाता है। उसने 30-09-2017 को समाप्त छमाही के लिए अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं का निम्नलिखित विवरण दिया—

- (i) ₹ 4 लाख के बीजक निर्गमित किये जिनमें से ₹ 1 लाख अप्राप्य हैं।
- (ii) 01-09-2017 को एक कम्पनी से प्रदाननीय सेवा के सम्बन्ध में ₹ 40,000 प्राप्त हुए। बिलों की राशि में सेवाकर शामिल नहीं है। करयोग्य सेवा का मूल्यांकन एवं देय सेवाकर की गणना कीजिए।

हल :

करयोग्य सेवा का मूल्यांकन एवं सेवाकर की गणना (30-09-2017 को समाप्त छमाही के लिए)

निर्गमित बीजकों की राशि		4,00,000
जोड़िए— कम्पनी से प्राप्त अग्रिम		40,000
	करयोग्य सेवा का मूल्य	4,40,000
सेवाकर 4,40,000 × 15%		66,000
	कुल सेवाकर	66,000

उदाहरण 2.

पटना के रवि स्टूडियो ने 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त छमाही के सम्बन्ध में निम्न विवरण प्रस्तुत किए—
प्राप्तियाँ—

स्टूडियो में फोटोग्राफी शुल्क	4,15,600
कैमरों की बिक्री एवं मरम्मत	1,75,800
विवाह में वीडियो एवं सी. डी. शूटिंग	2,75,400
नई फिल्म रील्स की ग्राहकों को बिक्री	1,60,300
पार्टियों एवं कार्यक्रमों की आउटडोर शूटिंग	1,20,500

डिजाइनर का विचार एवं परिकल्पना शुल्क	2,02,800
सामग्री चुनाव के लिए परामर्शी सेवा शुल्क	28,300
पैटर्न का सादा कपड़े पर निर्माण शुल्क	20,600
अन्तिम चुने गए फैब्रिक्स का क्रय मूल्य	1,60,200
करयोग्य सेवा का मूल्य	5,54,600

उदाहरण 4.

मि. चतुर्वेदी चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट हैं। 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए निम्न पेशेवर आय का विवरण है—

प्रमाणन शुल्क	1,30,200
अंकेक्षण शुल्क	2,20,800
लेखांकन सेवा का पारिश्रमिक	1,05,500
एक कम्पनी में आन्तरिक अंकेक्षण सेवा शुल्क	2,15,500
कोचिंग केन्द्र में अल्पकालीन अध्यापन सेवा	1,43,000

करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन कीजिए। उपर्युक्त आय/प्राप्तियों में सेवा कर शामिल नहीं हैं।

हल :

करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन
(30 सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए)

प्रमाणन शुल्क	1,30,200
अंकेक्षण शुल्क	2,20,800
लेखांकन सेवा का पारिश्रमिक	1,05,500
आन्तरिक अंकेक्षण सेवा शुल्क	2,15,500
अल्पकालीन अध्यापन सेवा	1,43,000
करयोग्य सेवा का मूल्यांकन	8,15,000

उदाहरण 5.

स्टार केबिल्स ने 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त छमाही के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किया—

ग्राहकों से संग्रहित कुल सकल राशि	5,10,900
स्थापना व्यय ग्राहकों से वसूल किए गए	20,100
कण्ट्रोल रूम से ग्राहकों के भवन तक केबिल की प्राप्त राशि	25,000
ग्राहकों से वसूल मनोरंजन कर की राशि जो सरकारी खाते में जमा कर दी गई।	
यह राशि ग्राहकों से संग्रहित सकल कुल राशि में शामिल हैं।	
करयोग्य सेवा का मूल्यांकन कीजिए एवं सेवाकर की गणना कीजिए।	

2. होटल को किराये पर देने के सम्बन्ध में छूट का प्रतिशत स्वीकृत है—
Percentage of abatement allowed in respect of renting a hotel is :
(a) 40% (b) 60%
(c) 50% (d) 75%
3. वस्तु परिवहन एजेन्सी द्वारा वस्तु के परिवहन के सम्बन्ध में छूट का प्रतिशत स्वीकृत है—
Percentage of abatement allowed in respect of transportation of goods by Goods Transport agency :
(a) 40% (b) 60%
(c) 50% (d) 75%
4. एक जहाज में वस्तु के परिवहन के सम्बन्ध में छूट का प्रतिशत स्वीकृत है—
Percentage of abatement allowed in respect of transport of goods in a vessel :
(a) 30% (b) 40%
(c) 70% (d) 60%

[उत्तर—1. (b), 2. (a), 3. (d), 4. (c)]

क्रियात्मक प्रश्न

(NUMERICAL QUESTIONS)

1. शौर्य बैंक्वेट का 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए आय-व्यय का विवरण निम्न हैं—

आय—

बैंक्वेट का किराया	3,10,500
बिजली शुल्क ग्राहकों से वसूल	1,62,500
क्रॉकरी आदि का किराया	1,05,700
सर्विस स्टॉफ का शुल्क	2,80,300
अन्य प्राप्तियाँ (भोजन एवं पेय-पदार्थ)	4,50,000

व्यय—

बिजली के बिलों का भुगतान	1,28,400
कर्मचारियों का वेतन	1,10,600
बैंक्वेट भवन के अनुरक्षण व्यय	85,000
अन्य व्यय (भोजन एवं पेय-पदार्थ)	2,50,000

करयोग्य सेवा का मूल्यांकन कीजिए। आय विक्रय कर सेवा कर एवं व्यय कर रहित हैं।

The following are the details of income and expenditure of Shourya Banquet for the quarter period ending 30 September, 2017 :

Incomes :

Hire charges for the Banquet	3,10,500
Electricity charges collected from customers	1,62,500
Charges of crockery etc.	1,05,700
Charges of manpower engaged	2,80,300
Other receipts (Food & Beverage)	4,50,000

Expenditure :

Electricity Bill paid	1,28,400
Salary of Employees	1,10,600

Construction supervision service @ 2% of the cost of construction which amounts to ` 5 crores ring the period.

He has construction building during the period at a cost of ` 20 lakh and earned a profit of ` 2.5 lakh on this work.

Valuation fees of ` 90,000 received during the period.

[Ans. Value of Taxable Service ` 12,70,000]

4. फिट बॉडी एक शारीरिक चुस्ती-फुर्ती प्रदान करने का केन्द्र है जो अपने यहाँ शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के विभिन्न कार्यक्रम एवं सेवाएँ प्रदान करता है। 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए उसकी आय का विवरण निम्न है—

चिकित्सकीय मालिश	1,55,875
जिम तथा ऐरोबिक सुविधाओं का शुल्क	2,05,900
योग एवं ध्यान के कार्यक्रमों से प्राप्ति	3,15,100
शारीरिक स्वस्थता सम्बन्धी क्रियाओं से प्राप्ति	6,50,000
शारीरिक भार में कमी कार्यक्रमों से प्राप्ति	4,50,000

हेल्थ एण्ड फिटनेस सेन्टर की श्रेणी में करयोग्य सेवा का मूल्यांकन कीजिए।

Fit Body is fitness centre providing various services for physical and mental well being to its customers. Following are the income of the centre for quarter ending 30 September, 2017 :

Charges for therapeutic massages	1,55,875
Charges for Gymnasium/Aerobics	2,05,900
Yoga and meditation programme	3,15,100
Charges for Physical Fitness exercises facility Provided	6,50,000
Charges for weight reduction Programme	4,50,000

Calculate the value of taxable Services provided under the category of Health Club & Fitness Centre.

[Ans. Value of Taxable Service ` 16,21,000]

7

कर-निर्धारण विधि [ASSESSMENT PROCEDURE]

अर्द्धवार्षिक विवरणी दाखिल करना (Submission of half-yearly statement)—सेवा कर भुगतान के दायी व्यक्ति उसके द्वारा प्रदान सेवा पर देय कर का स्वयं निर्धारण करेगा तथा अर्द्धवार्षिक आधार पर ST 3 की तीन प्रतियों में सम्बन्धित छमाही की सेवा के मूल्यांकन की वसूली पर देय सेवाकर भुगतान के साक्ष्य के रूप में TR6 या GAR-7 चालान की प्रतियों के साथ अपना विवरण सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में यहाँ जमा करना होगा। अर्द्धवर्ष का अर्थ वित्त का अर्थ वित्त वर्ष का 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होगा।

विवरणी दाखिल करने की देय तिथि—

प्रथम अर्द्ध वर्ष	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	देय तिथि 25 अक्टूबर
द्वितीय अर्द्ध वर्ष	1 अक्टूबर से 31 मार्च	देय तिथि 25 अप्रैल

धारा 69(2) के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण के लिए योग्य करदाता भी अपनी विवरणी अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में दाखिल करेगा। यह विवरण अगले माह की 25 तारीख तक जमा करना होता है।

यदि किसी करदाता ने विशेष अर्द्धवर्ष के दौरान करयोग्य सेवा प्रदान नहीं की है तो वह शून्य विवरणी दाखिल करेगा।

सेवा कर की विवरणी को निर्धारित अवधि के अन्दर भरना होगा यदि विवरणी निर्धारित अवधि में दाखिल नहीं की गई है तो धारा 77(2) के अन्तर्गत दण्ड लगाया जायेगा। भुगतान योग्य सेवा कर की सकल राशि शून्य है, केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी के सन्तुष्ट होने पर कि विवरणी को दाखिल न करने का पर्याप्त कारण है तो दण्ड को कम या माफ कर सकता है।

रजिस्टर्ड डाक द्वारा विवरणी दाखिल करना—सेवा कर विवरणी डाक द्वारा भेजने की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई है इससे छोटे शहरों या कस्बों में करदाता को सेवा कर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से विवरणी दाखिल करना—कुछ विशिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में 30 सितम्बर, 2011 से अर्द्धवार्षिक विवरणी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है—

- (i) कोरियर सेवाएँ,
- (ii) बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ,
- (iii) कस्टम हाउस एजेंट सेवाएँ,
- (iv) विज्ञापन एजेंसी सेवाएँ,
- (v) सामान्य बीमा सेवाएँ,
- (vi) बीमा सहायक सेवाएँ,
- (vii) जीवन बीमा सेवाएँ,
- (viii) टेलीफोन सेवाएँ,
- (ix) स्टॉक ब्रोकर सेवाएँ।

संशोधित विवरणी—कोई भी करदाता फार्म ST-3 में तीन प्रतियों में संशोधित विवरणी दाखिल कर सकता है। ऐसी संशोधित विवरणी वास्तविक विवरणी दाखिल करने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्दर दाखिल कर सकता है।

विवरणों को दाखिल करने में देरी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि – करदाता द्वारा विवरणी को दाखिल करने में देरी होने पर विवरणी को जमा करने के लिए दायी व्यक्ति देरी की अवधि के आधार पर ₹ 20,000 की अधिकतम राशि के भुगतान के लिए दायी है—

देय तिथि से देरी की अवधि	भुगतान जाने वाली राशि
15 दिन तक	₹ 500
16 दिन से 30 दिन तक	₹ 1,000
30 दिन के पश्चात्	₹ 1,000 + ₹ 100 प्रतिदिन (अधिकतम ₹ 20,000)

सेवा कर विवरणी की विषय वस्तु

[SUBJECT MATTER OF SERVICE TAX RETURN]

- करदाता का विवरण,
- करयोग्य सेवाओं का विवरण,
- अवधि का विवरण,
- कर मुक्त सेवाओं का विवरण,
- निर्यात सेवाओं का मूल्य,
- छूट का दावा,
- प्राप्य करयोग्य सेवा का मूल्य (प्रदत्त सेवा के लिए),
- प्राप्य करयोग्य सेवा का मूल्य (प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए),
- भुगतान योग्य सेवा कर की राशि,
- भुगतान योग्य शिक्षा उपकर की राशि,
- सेनवेट क्रेडिट का विवरण।

विवरणों के संलग्नक (Attachment unit Returns) –

- GAR7/TR-6 चालन की प्रतिलिपियाँ,
- अन्तरिम कर निर्धारण के मामले में फार्म ST-3A में मैमोरेंडम,
- करदाता द्वारा सेवा कर के सम्बन्ध में रखे गये खातों की संख्या को प्रथम विवरणी के साथ लगाना होगा,
- नियम 6(3) के सन्दर्भ में अधिक भुगतान सेवा कर के समायोजन के लिए दस्तावेज प्रमाण,
- देरी से सेवा कर के भुगतान की दशा में ब्याज की गणना की वर्कशीट।

सेवा कर विवरणी रचनाकार योजना, 2009

[SERVICE TAX RETURN PREPARES SCHEME, 2009]

[धारा 71]


बोर्ड सरकारी गजट में अधिसूचना देकर ऐसी योजना का निर्माण किसी व्यक्ति के लिए धारा 70 के अन्तर्गत एक विवरणी दाखिल कर सकता है तथा सेवा कर विवरणी तैयार करने वाले को इस योजना के अन्तर्गत ऐसा कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। सेवा करदाता जो अधिकृत सेवा कर विवरणी रचनाकार द्वारा अपनी सेवाकर विवरणी दाखिल करने के विकल्प का प्रयोग करता हो, उसका दायित्व है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी लिखित स्वीकृति रचनाकार को दें तथा यह देख लें कि वह वास्तविक व्यक्ति हों। ऐसा व्यक्ति विवरण के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

सेवा कर का निर्धारण

[ASSESSMENT UNDER SERVICE TAX]

यदि कोई करदाता स्वयं गणना करके अपना कर दायित्व पूरा करता है तथा जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति

में सामान्य जाँच के बाद स्वयं निर्धारण स्वीकृत माना जाता है। अस्थायी निर्धारण में भी फार्म ST-3A में करदाता द्वारा दाखिल विवरण स्वीकृत होता है। निर्धारण के मुख्य ढंग निम्नलिखित हैं :-



स्वयं निर्धारण (Self Assessment)

कोई भी करदाता जो अपने द्वारा दी गई सेवाओं पर देय कर की गणना स्वयं निर्धारित कर लेता है तथा ऐसे कर के लिए विवरणी, निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित समयावधि में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को भेजेगा।

अस्थायी कर निर्धारण (Provisional Assessment)

नियम 6(5) एवं 6(6)

यदि कोई करदाता किसी कारण से किसी महीने या तिमाही के लिए जमा की तिथि को भुगतान योग्य वास्तविक राशि का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकता है। तब वह लिखित रूप में केन्द्रीय उत्पाद का उपायुक्त या सहायक आयुक्त को अस्थायी आधार पर सेवा करने के भुगतान के लिए कारण देकर प्रार्थना करता है।

अन्तरिम कर निर्धारण के लिए निवेदन करने वाला करदाता फार्म ST-3 में अर्द्धवार्षिक विवरण को संलग्न कर फार्म ST-3A में मेमोरेण्डम में प्रत्येक माह के लिए भुगतान के लिए सेवा कर दायित्व तथा जमा सेवा कर के बीच अन्तर का विवरण देते हुए विवरण दाखिल करेगा।

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण (धारा 72)–

- (i) यदि कोई करदाता धारा 70 के अन्तर्गत विवरणी दाखिल नहीं कर पाता है या
- (ii) विवरणी देने के बाद सेवा कर का नियमानुसार निर्धारण नहीं कर पाता है। तब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी–
 - (1) ऐसे करदाता से आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए माँग कर सकता है, तथा
 - (2) उचित कार्यवाही के पश्चात् अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर–
 - (a) करयोग्य सेवा के मूल्य को निर्धारित करेगा,
 - (b) ऐसे निर्धारण पर करदाता को देय राशि का भुगतान करना होगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सेवा कर निर्धारण सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, निर्धारण की मूल प्रकृति स्पष्ट कीजिए।
Write down the basic nature of assessment under Service Tax while giving provisions relating to its assessment.
2. किन परिस्थितियों में अन्तिम निर्धारण अपनाया जा सकता है? ऐसे निर्धारण से सम्बन्धित क्या प्रक्रिया है?
Under what circumstances Provisional Assessment is resorted to? What is the procedure to be followed in this regard?
3. सेवा कर से सम्बन्धित विवरण को दाखिल करने के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
Explain the provisions of billing of Service Tax return.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

टिप्पणी लिखें–

1. संशोधित विवरणी।
Revised Returns.
2. विवरणी विलम्ब से दाखिल करना।
Late filing of Returns.

3. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से विवरण दाखिल करना।
Electronic Filing of Returns.

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. देरी से विवरणी दाखिल करने पर अधिकतम अर्थदण्ड है—
Maximum penalty for delaying return is :

(a) ` 500	(b) ` 5,000
(c) ` 2,000	(d) ` 4,000
2. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा सेवा कर जमा करना अनिवार्य है यदि पिछले वित्त वर्ष में सेवा कर की राशि हो—
E-Filing of Service Tax is mandatory whereas the amount of Service Tax during the preceding financial year exceeds :

(a) ` 50 लाख (` 50 lakh)	(b) ` 30 लाख (` 30 lakh)
(c) सभी के लिए अनिवार्य (Mandatory to all assesseees)	
(d) ` 40 लाख (` 40 lakh)	
3. सेवा कर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है—
Due date for filing service tax return is :

(a) तिमाही समाप्ति के बाद सोलहवाँ दिन (16th day after end of a quarter)	(b) अर्द्धवार्षिक समाप्ति के बाद सोलहवाँ दिन (16th day after end of half year)
(c) अर्द्धवार्षिक समाप्ति के बाद पच्चीसवाँ दिन (25th day after end of half year)	(d) तिमाही समाप्ति के बाद पच्चीसवाँ दिन (25th day after end of a quarter)

[उत्तर—1. (c), 2. (c), 3. (c).]




8

सेवा कर अपील, वापसी एवं अर्थदण्ड [SERVICE TAX APPEAL, REFUND AND PENALTIES]

प्रारम्भिक : सेवा कर का करदाता द्वारा स्वयं कर निर्धारण होने पर निर्धारण में किसी मतभेद की सम्भावना नहीं होती है। परन्तु किसी भी प्रकार से विवाद के हल के लिए सेवा कर के विधान में अपील सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं।

अपील सम्बन्धी प्रावधान निम्नलिखित हैं—



आयुक्त (अपील्स) के आदेश के विरुद्ध अपील

[APPEAL AGAINST ADJUDICATION ORDER OF COMMISSIONER (APPEALS)]

आयुक्त (अपील्स) के आदेश के विरुद्ध करदाता के सन्तुष्ट न होने पर ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। ऐसी अपील निम्न के लिए की जा सकती है—

- करारोपण का निर्धारण,
- अर्थदण्ड का निर्धारण,
- अधीनस्थ अधिकारी के आदेश पर पुनर्निर्धारण।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील

[APPEAL TO COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE (APPEALS)]

- आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारी के आदेश के विरुद्ध
- ऐसी अपील आदेश की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रारूप ST-4 पर की जा सकती है।
- ऐसी अपील के साथ अग्रिम जमा से मुक्ति तथा आदेश के स्थगन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र लगाया जायेगा।
- ऐसी अपील निम्न के लिए की जा सकती है।
 - अर्थदण्ड का निर्धारण,
 - वापसी की अस्वीकृति,
 - ब्याज।
- सेवा कर अधिक लगाये जाने के विरुद्ध या अर्थदण्ड में वृद्धि होने पर करदाता को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

ट्रिब्यूनल में अपील

(APPEAL TO THE TRIBUNAL)

ट्रिब्यूनल में अपील सम्बन्धी प्रावधान अग्रलिखित हैं :

- (1) **करदाता द्वारा अपील करना**—करदाता निम्न के सम्बन्ध में अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है—
- आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश के विरुद्ध (धारा 73),
 - आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश के विरुद्ध (धारा 83 A),
 - आयुक्त (अपील्स) के आदेश के विरुद्ध (धारा 85)।
- ऐसी अपील प्रारूप ST-5 में विवरणों सहित चार प्रतियों में की जायेगी तथा ऐसी अपील के साथ आदेश की प्रति लगायी जायेगी। ऐसी अपील तीन माह के अन्दर की जा सकती है।
- (2) **विभाग द्वारा अपील**—CBEC को अधिकार है कि वह ऐसी समितियों का गठन करे जिसमें दो मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या दो आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हो—
- ऐसी समिति आयुक्त उत्पाद शुल्क को निर्देश दे सकती है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ये अपील करे क्योंकि उनकी राय में आदेशों के प्रति आपत्ति है। ऐसा आदेश जो धारा 73 या 83A के अन्तर्गत दिया गया है।
- (3) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अपील**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों की समिति उत्पाद शुल्क अधिकारी को निर्देश दे सकती है कि आयुक्त (अपील्स) के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करे। ऐसी अपील प्रारूप ST-7 में विवरणों सहित चार प्रतियों में दाखिल की जायेगी तथा पूर्व के आदेश की प्रति इसके साथ लगायी जायेगी। ऐसी अपील चार माह के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में दाखिल की जा सकती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने के लिये, सेवाकर उस पर ब्याज की मांगी गई राशि एवं अर्थदण्ड की आरोपित राशि क्रमशः ` 5,00,000 या इससे कम, ` 5,00,000 से अधिक किन्तु ` 50 लाख तक, ` 50 लाख से अधिक होने पर अपील शुल्क क्रमशः ` 1,000, ` 5,000 तथा ` 10,000 जमा करना होगा। कुछ स्थितियों में अपील शुल्क देय नहीं होता है जैसे: मेमोरेन्डम दाखिल करने पर आदि।

आयुक्त के आदेश का पुनर्विचार

(REVISION OF ORDERS OF COMMISSIONER)

केन्द्रीय बोर्ड उत्पाद एवं सीमा शुल्क को वित्त अधिनियम, 2007 के द्वारा आयुक्त (अपील्स) के आदेशों में पुनर्विचार के लिए एक समिति गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

समिति के प्रकार—सेवा कर से सम्बन्धित होने पर निम्न समिति बनाई जा सकती है —

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेशों के पुनर्विचार हेतु दो मुख्य आयुक्त वाली समिति,
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील्स) के आदेशों के पुनर्विचार के लिए दो आयुक्त वाली समिति।

वापसी

(REFUNDS)

सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किये गये भुगतान का सेवा कर सहित वह भाग वापस किया जा सकता है। जितनी सेवा उसने प्रदान नहीं की है। किन्तु जहाँ सेवा कर का भार क्रेता या अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं है या किसी अन्य मामले में यह सिद्धान्त लागू होता है तो सेवा कर की वापसी स्वीकृत नहीं होगी। वापसी करने का दावा आवेदन सहायक उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को एक वर्ष के अन्दर करना होगा।

वापसी का दावा करने की प्रक्रिया—

- आवेदन निर्धारित प्रारूप में करना,
- सेवा कर भुगतान की तिथि से एक वर्ष के अन्दर दावा करना, तथा
- कर का भार आवेदन ने वहन किया हो।

वापसी की अवधि—वापसी आवेदन के तीन माह में दी जानी आवश्यक है। यदि तीन माह में ऐसी राशि नहीं दी जाती है। तो ऐसी राशि पर ब्याज की दर कम से कम 5% वार्षिक या अधिकतम 30% वार्षिक होनी चाहिए। इस समय यह दर 6% वार्षिक है।

सेवा कर भुगतान न करने पर अर्थदण्ड—यदि कोई करदाता सेवा कर का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी त्रुटि के प्रत्येक दिन के लिए 100 या सेवा कर की राशि का 1% प्रतिमाह जो भी अधिक हो भुगतान करना होगा। ऐसे अर्थदण्ड की अवधि सेवा कर के भुगतान की अन्तिम तिथि के बाद वाले दिन से प्रारम्भ हो जाती है। किसी भी दशा में अर्थदण्ड की राशि सेवा कर की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

अर्थदण्ड की राशि –

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. पंजीयन कराने में त्रुटि | — | 200 प्रतिदिन या 10,000 जो भी अधिक हो |
| 2. सेवा कर में ई-भुगतान में त्रुटि | — | 10,000 (अपराध 3 से 6 तक) |

अर्थदण्ड निर्धारण करने वाले अधिकारी—

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. 1,00,000 तक | — | अधीक्षक |
| 2. 1,00,000 से अधिक किन्तु
5,00,000 से अधिक नहीं | — | सहायक उपायुक्त |
| 3. 5,00,000 से अधिक किन्तु
20,00,000 से अधिक नहीं | — | संयुक्त आयुक्त |
| 4. 20,00,000 से अधिक नहीं
50,00,000 से अधिक नहीं | — | अतिरिक्त आयुक्त |
| 5. 50,00,000 से अधिक (कोई सीमा नहीं) | — | आयुक्त |

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- सेवा कर सम्बन्धी अर्थदण्ड के प्रावधानों को समझाइए।
Explain the penalty provisions relating to Service Tax.
- सेवाकर निर्धारण के आदेश के विरुद्ध किस प्रकार अपील की जा सकती है। समझाइए।
How an appeal can be made against the order of Service Tax.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

टिप्पणी लिखिए (Write short notes on)–

- सेवा कर भुगतान में त्रुटि (Default in Payment of Service Tax)
- सेवा कर की वापसी (Service Tax Refund)
- अर्थदण्ड निर्धारण (Adjudication of Penalty)

वस्तु निष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) में यहाँ अपील किस प्रारूप में की जाती है—
On which form Appeal is submitted/filed to Commissioner (Appeal) of Central Excise :
(a) ST-40 (b) ST-25 (c) ST-50 (d) ST-69
- किसी धारा के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है—
Under which section appeal can be submitted in Appellate Tribunal :
(a) धारा 73 (Section 73) (b) धारा 83A (Section 83A)
(c) धारा 85 (Section 85) (d) ये सभी (All of these)

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अपील किस प्रारूप में की जाती है—
On which form Appeal is submitted/filed by officer of Central Excise :
- (a) ST-4 (b) ST-7
(c) ST-1 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
4. सेवा कर की वापसी कितने माह में की जाती है ?
Service Tax is refund in how many months?
- (a) 1 माह (1 month) (b) 2 माह (2 months) (c) 3 माह (3 months) (d) 4 माह (4 months)
5. सेवा कर वापसी पर ब्याज की न्यूनतम एवं अधिकतम दर है—
The minimum and maximum rate of Interest on refund of service tax is :
- (a) 5% तथा 30% (5% and 30%) (b) 1% तथा 10% (1% and 10%)
(c) 2% तथा 15% (2% and 15%) (d) 3% तथा 20% (3% and 20%)
6. ` 50,00,000 से अधिक राशि होने पर अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है—
Penalty determined when the amount of Excess ` 50,00,000 is :
- (a) आयुक्त (Commissioner) (b) अधीक्षक (Superintendent)
(c) उपायुक्त (Deputy Commissioner) (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- [उत्तर—1. (a), 2. (d), 3. (b), 4. (c), 5. (a), 6. (a)।]

9

सेनवैट क्रेडिट [CENVAT CREDIT]

परिचय (Introduction)

सेनवैट क्रेडिट सेवा कर के अन्तर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आउटपुट सेवा कर के विरुद्ध इनपुट सेवाओं पर चुकाये गये सेवा कर की पूर्ति के लिए सेनवैट क्रेडिट स्वीकृत होता है। यह अवधारणा करों के कास्केडिंग प्रभाव को हटाती है तथा मूल्य वृद्धि पर सेवा कर का भुगतान एवं इनपुट कर भुगतान को आउटपुट देय कर के विरुद्ध इसकी पूर्ति की जा सकती है।

इस अवधारणा के द्वारा सेनवैट क्रेडिट उत्पादन सेवा कर पर लागू होती है। यहाँ हम केवल सेवा कर से सम्बन्धित अवधारणा के बारे में बतायेंगे।

परिभाषाएँ (Definitions)

पूँजीगत माल—पूँजीगत माल में वे सम्पत्तियाँ शामिल हैं जो सेवाओं के देने के लिए या निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग की जाती हैं जिन्हें एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रयोग किया जाता है, जिसे व्यवसाय के लिए सामान्य तौर पर नियमित रूप से नहीं बेचा जाता है और इसमें टूल्स, मशीन, प्रदूषण नियंत्रक उपकरण, यंत्र, स्पेयर्स, एसेसरीज, भण्डार टैंक, मोटर वाहन और फैक्ट्री में प्रयोग किये जाने वाले डम्पर्स, यात्रियों के यातायात के लिए मोटर वाहन डिजाइन आदि को शामिल किया जाता है।

इनपुट सेवाएँ (Input Services)

इनपुट सेवा का अर्थ कोई सेवा—

- (i) एक आउटपुट सेवा को प्रदान करने के लिए आउटपुट सेवा का प्रदानकर्ता द्वारा उपयोग या
- (ii) एक निर्माता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग या अन्तिम उत्पाद का निर्माण तथा अन्तिम उत्पाद की निकासी का स्थान तक क्लियरेंस और निम्न के सम्बन्ध में शामिल सेवाएँ—
 - विक्रय सम्बन्धन के लिए विज्ञापन या बाजार अनुसन्धान
 - निकासी के स्थान तक भण्डारण
 - लेखांकन
 - अंकेक्षण
 - वित्त
 - भर्ती
 - किस्म नियन्त्रण
 - कोचिंग एवं प्रशिक्षण
 - कम्प्यूटर नेटवर्किंग
 - क्रेडिट रेटिंग
 - अंश रजिस्ट्री
 - सुरक्षा
 - व्यापार प्रदर्शनी
 - कानूनी सेवा

- इनपुट या पूँजीगत माल का आन्तरिक परिवहन
- निकासी स्थान (या अन्तिम स्थान) तक बाहरी परिवहन।

(A) कार्य अनुबन्ध के लागूकरण में सेवाओं का भाग और वित्त अधिनियम की धारा 66 E के वाक्य (b) के अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धित सेवाओं (सूचीयत सेवाओं सहित) का उपयोग—

- (a) भवन के कार्य अनुबन्ध के लागूकरण या निर्माण या सिविल संरचना या उसका कोई भाग।
- (b) बुनियाद को रखना या पूँजीगत माल की सहायता से संरचना तैयार करना।

नोट—धारा 66E के वाक्य (b) के अन्तर्गत सूचीयत सेवाएँ हैं—

- भवन निर्माण या नक्शा सेवाएँ
- बन्दरगाह पर सेवाएँ
- अन्य बन्दरगाह सेवाएँ
- हवाई अड्डे पर सेवाएँ
- वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण
- निवासीय कॉम्प्लैक्स का निर्माण
- कार्य अनुबन्ध सेवाएँ

(B) मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के सम्बन्ध में सेवाएँ उपलब्ध कराना, ये मोटर वाहन के सम्बन्ध में हों, न कि पूँजीगत माल।

(BA) सामान्य बीमा व्यवसाय की दी गई सेवाएँ या मरम्मत एवं रख-रखाव सम्बन्धी सेवाएँ जो मोटर वाहन के सम्बन्ध में हों, न कि पूँजीगत माल। निम्न उपयोगों को छोड़कर—

- (a) एक ऐसा व्यक्ति मोटर वाहन के निर्माण के सम्बन्ध में मोटर वाहन का निर्माण करता हो या
- (b) एक बीमा कम्पनी जो मोटर वाहन के बीमे के सम्बन्ध में हो या पुनर्बीमा के सम्बन्ध में हो या
- (c) ऐसी सेवाएँ जो निम्न के सम्बन्ध में उपलब्ध हों—

- स्वास्थ्य सेवाएँ
- सुन्दरता ट्रीटमेण्ट
- आउटडोर कैटरिंग
- कॉस्मेटिक्स एवं प्लास्टिक सेवाएँ
- क्लब की सदस्यता हेल्थ और फिटनेस सेन्टर
- स्वास्थ्य बीमा और छुट्टी पर कर्मचारी को यात्रा के सम्बन्ध में दिए गए लाभ या गृह यात्रा रियायत जब उपरोक्त सेवाएँ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आरम्भिक उपयोग हो या किसी कर्मचारी का उपभोग हो।

कर मुक्त सेवाएँ—

कर मुक्त सेवाओं का अर्थ—

- (i) कर योग्य सेवाएँ जो पूर्ण रूप से सेवा कर लगाने से कर मुक्त हैं, या
- (ii) सेवा, जिस पर विश्व अधिनियम की धारा 66B के अन्तर्गत सेवा कर नहीं लगाया जाता है।

ड्यूटीस जिस पर क्रेडिट ली जा सकती है—

सेवाओं की दशा में निम्न के सम्बन्ध में सेनवैट क्रेडिट ली जा सकती है—

(a) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66B के अन्तर्गत सेवा कर लगाया जा सकता है।

(b) वित्त अधिनियम 2004 और 2007 के अन्तर्गत ऐसी कर योग्य सेवाएँ जिन पर शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर लगाया जा सकता है।

नोट—शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर जो इनपुट कर योग्य सेवाओं पर लगाया जाता है। उसे केवल भुगतान किए गए या देय शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर से ही समायोजित किया जा सकता है। इसे नए देय सेवा कर से समायोजित नहीं किया जा सकता है।

क्रेडिट स्वीकृत होने की स्थितियाँ (CONDITIONS FOR ALLOWING CREDIT)

पूँजीगत माल पर क्रेडिट

सेवा प्रदानकर्ता की सम्पत्ति में पूँजीगत माल खरीदने की दशा में वित्तीय वर्ष में खरीद पर केवल 50% क्रेडिट स्वीकार की जाती है तथा बाकी अगले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत होगी—

निम्नलिखित तीन दशाओं में पूँजीगत माल पर 100% क्रेडिट स्वीकृत होगी—

1. यदि पूँजीगत माल समान वित्तीय वर्ष में क्लीयर्ड हो जाता है, तब उस पर 100% क्रेडिट लिया जा सकता है।
2. आयातित पूँजीगत माल पर निर्माता द्वारा विशिष्ट सी वी डी का भुगतान।
3. एस एस आई यूनिट्स।

इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए स्थितियाँ

इनपुट सेवा के सम्बन्ध में सेनवैट क्रेडिट बीजक या बिल या चालान की प्राप्ति पर या बाद में स्वीकृत होता है।

प्रतिबन्ध 1—जहाँ प्रत्यक्ष रिवर्स चार्ज सेवा कर चुकाने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता उत्तरदायी हो, वह चुकाए गए सेवा कर तक क्रेडिट लेने के लिए पात्र है।

प्रतिबन्ध 2—यदि सेनवैट क्रेडिट (निर्माता या सेवा प्रदाता) का लाभ लेने वाला इनपुट सेवा का प्रदान करने वाले को बीजक की तिथि के 3 माह के अन्दर सेवा कर या सेवा चार्ज का भुगतान नहीं करता है, तब उसे प्रलेखों पर प्राप्त के आधार पर लिए गए क्रेडिट को वापस भुगतान करना पड़ेगा। वह राशि के भुगतान के बाद ही क्रेडिट लेने के लिए पात्र है।

प्रतिबन्ध 3—सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने वाले को क्रेडिट के वापस माँगे जाने पर उसे भुगतान करना है, या इनपुट सेवा के प्रदानकर्ता से क्रेडिट प्राप्त नहीं हुआ हो।

सेवा उपलब्ध कराने वाले की कानूनी बाध्यता

(A) सेवाओं की दशा में उन इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जा सकता है जिनकी आउटपुट सेवा कर मुक्त है क्योंकि सेनवैट क्रेडिट की सुविधा मुख्य रूप से निम्न को हटाने के लिए उपलब्ध है—

- (i) कासकेडिंग का प्रभाव जैसे कर पर कर।
- (ii) बहुआयामी कराधान का प्रभाव।

यदि अन्तिम उत्पाद या आउटपुट सेवा कर मुक्त है तब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।

(B) जहाँ कर योग्य और गैर योग्य माल या सेवाएँ दोनों के लिए इनपुट सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कर योग्य सेवा प्रदाता या कर योग्य माल के लिए इनपुट की मात्रा के प्रयोग तक सेनवैट क्रेडिट लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से एक खाता रखना होगा।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा क्रेडिट के वितरण का तरीका या विधि

(MANNER OF DISTRIBUTION OF CREDIT BY INPUT SERVICE DISTRIBUTOR)

- एक निर्माता या सेवाप्रदाता अपना मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (शाखा कार्यालय) अलग-अलग स्थानों पर रख सकते हैं।
- सेवा बीजक के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ऐसी सेवाओं का उपयोग मुख्य कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा होना चाहिए।
- इसलिए मुख्य कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय जो बीजक (इनपुट सेवा वितरक) प्राप्त करता है और प्राप्त सेवा पर सेवा कर भुगतान करता है। अग्र दशाओं में उसे इनपुट सेवा कर भुगतान के लिए क्रेडिट का वितरण मुख्य कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को देना होगा—

- क्रेडिट का वितरण चुकाए गए सेवा कर से अधिक नहीं होगा।
- क्रेडिट की कोई भी राशि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है यदि वह इकाई कर मुक्त माल की निर्माता है या सेवा प्रदानकर्ता मुक्त सेवा प्रदान करता है।
- सेवा के उपयोग के सम्बन्ध में सेवा कर की क्रेडिट सम्बन्धित अवधि के दौरान आवर्त के आधार पर आनुपातिक वितरण, सेवा उपयोग करने वाली इकाई को किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—सेवा प्रदानकर्ता या निर्माता की फ़ैक्ट्री या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्य कार्यालय को अलग-अलग पंजीयन नम्बर रखना होता है।

सेनवैट क्रेडिट के वापसी के लिए प्रक्रिया

सेनवैट क्रेडिट के उपयोग की वापसी के दावे के लिए सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है—

- कच्चे माल की किस्म और मात्रा के सन्दर्भ के साथ निर्माण सूत्र ड्यूटी रेट, निर्मित माल के विवरण के साथ निर्माता को घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।
- क्रेडिट की राशि का शेष और क्रेडिट उपयोग, स्टॉक इनपुट की बाकी, अन्तिम उत्पाद निर्माण, माह के दौरान इनपुट के उपयोग की मात्रा एवं लिए गए क्रेडिट की राशि, ड्यूटी, मूल्य, प्राप्तियाँ, प्रारम्भिक शेष का विवरण महीने की 7 तारीख को मासिक विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद ए सी/डी सी प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर उपयोग न किए गए क्रेडिट को वापस किया जाएगा।
- यदि वापसी करने में देरी की जाएगी तब ए सी, ग्राण्ट के 80% तक की राशि के लिए अस्थायी आधार पर दावा किया जा सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- इनपुट के लिए सेनवैट क्रेडिट की उपलब्धता के लिए करदाता को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी ?
What is the procedure to be followed by an assessee to avail of the benefits under CENVAT for inputs ?
- यदि अन्तिम उत्पाद कर मुक्त है, क्या इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट स्वीकृत होगी ?
Is the CENVAT credit admissible on inputs if final products are exempt ?
- सेनवैट योजना की अवधारणा बताइए। इससे कासकेडिंग प्रभाव को किस प्रकार कम किया जाता है ?
Elucidate the concept of CENVAT Scheme. How does it reduce the CASCADING Effects ?
- कौन-सी ड्यूटीज के सम्बन्ध में सेनवैट क्रेडिट स्वीकृत होता है ?
In respect of which duties CENVAT credit is allowed ?
- सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 के अन्तर्गत इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में कब सेनवैट क्रेडिट लिया जा सकता है ?
When can the CENVAT credit in respect of input service be availed under the CENVAT credit Rules, 2004 ?

1

मूल्य वर्धित कर—विचारधारा एवं सामान्य सिद्धान्त

[VAT—CONCEPTS AND GENERAL PRINCIPLES]

मूल्य वर्धित कर का अर्थ

[MEANING OF VALUE ADDED TAX (VAT)]

वैट अर्थात् मूल्य वर्धित कर एक बहुस्तरीय कर है जो किसी वस्तु के विक्रय के प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है। वर्धित मूल्य से आशय व्यापारी द्वारा माल के मूल्य में कर को जोड़े जाने वाले मूल्य से है

कर चुकाने का दायित्व (i) निर्माता, (ii) आयातकर्ता, (iii) व्यापारी (10 लाख से अधिक बिक्री), (iv) पंजीकृत व्यापारी, (v) लेन-देन वाला व्यापारी पर है।

मूल्य वर्धित कर विभिन्न बिन्दुओं पर लगने वाला विक्रय कर है जो व्यक्ति को क्रय पर दिये गये मूल्य वर्धित मूल्य को कर वसूलने के योग्य बनाता है। मूल्य वर्धित कर की प्रणाली को इस प्रकार बनाया गया है कि माल पर लगने वाला कर अन्त में उपभोक्ता पर ही आता है।

भारत में मूल्य वर्धित कर राज्य स्तर पर विभिन्न बिन्दुओं पर मूल्य वर्धन होने पर लगने वाला कर है। जो विक्रय के विभिन्न चरणों पर, पिछले चरण पर भुगतान किये गये कर के प्रावधानों के साथ लगता है अर्थात् जो कर निवेश पर दिया गया हो। माल के विक्रय पर लगने वाला कर है। मूल्य वर्धन कर अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लगता है अर्थात् राज्य के अन्दर होने वाले माल के विक्रय पर बढ़ी राशि के मूल्य वर्धन पर लगता है, इसे मूल्य वर्धन कर के नाम से जाना जाता है। वैट उपभोग कर के रूप में है। वैट बिक्री कर की तरह है क्योंकि अन्ततः उपभोक्ता को ही कर देना पड़ता है। वैट बिक्री कर से अलग है क्योंकि एक बार अन्तिम उपभोक्ता से विक्रय पर कर लेकर सरकार को भेज दिया जाता है।

मूल्य वर्धित कर का इतिहास और पृष्ठभूमि

[HISTORY AND BACKGROUND OF VAT]

खण्ड और सिद्धान्त के द्वारा वैट के इतिहास की पृष्ठभूमि दर्शायी गई है—

- 1919 में Dr. Wilhelm Von Siemens द्वारा जर्मनी के लिए आवर्त कर Tax की तरह वैट को पहली बार सुझाव दिया गया।
- 1921 में वैट का सुझाव Professor Thomas S. Adams ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विक्रय पर कर के रूप में क्रय और उत्पादित माल के विक्रय पर जमा/धन वापसी के साथ सुझाव दिया।
- 1949 में शोउप मिशन द्वारा जापान की अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए सुझाव दिया।
- 1954 में फ्रांस ऐसा पहला देश बना जिसने औद्योगिक क्षेत्र में वैट को लागू किया।
- 1960 में Ivory Cost द्वारा द्वितीय बार वैट स्वीकृत किया गया।
- 1970 में VAT 130 देशों में लागू हुआ।
- 1986 में भारत में वैट को संशोधित वर्धित कर tax(MODVAT) के नाम से लाया गया लेकिन बाद में इसका नाम CENVAT (Central Value Added Tax) कर दिया गया।

वैट के झण्डाधारक पदाधिकारी—

- 1919 : Dr. Wilhelm Von Siemens (Germany)
- 1921 : Professor Thomas S. Adams (U.S.A.)
- 1949 : Shoup Mission (Japan)


विभिन्न देशों में वैट की प्रस्तुति—

- 1954 : फ्रांस
- 1960 : इवोरी कास्ट

- 1961 : सेनेगल (Senegal)
- 1967 : ब्राजील और डेनमार्क (Brazil and Denmark)
- 1968 : जर्मनी (Germany)
- 1969 : निदर लैण्ड और स्वीडन (Netherlands & Sweden)
- 1970 : लोरीम्बोर्ग (Luxembourg)
- 1971 : बैलजियम (Belgium)
- 1972 : आयरलैण्ड (Ireland)
- 1973 : इटली, यू. के और ऑस्ट्रेलिया (Italy, U.K. & Australia)
- 1986 : ई. वी. पुर्तगाल और स्पेन (E.V. Portugal & Spain)
- 1987 : ग्रीस (Greece)
- 1994 : फिन्लेण्ड (Finland)

वैट की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF VAT)


वैट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :



1. वैट विक्री कर के स्थान पर लागू होता है।
2. तीन आधारभूत दरों का निर्धारण किया गया है।
3. इसमें आदर्श परीक्षण किया जाता है।
4. कर चोरी रोकने के कठोर नियम बनाए जाते हैं।
5. व्यापारी को स्वयं आँकलन करना होता है।
6. राज्य को होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी।

मूल्य वर्धित कर की आवश्यकता (NEED OF VAT)

वैट कर के कासकेडिंग को कम करने के लिए बनाया गया। केन्द्रीय और राज्य सरकार एकीकरण सूची, राज्य सूची और समकालीन सूची के उपकरण के माध्यम से अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। आधारभूत सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक स्तर पर, उस स्तर पर हुए मूल्य वर्धन पर ही कर देना होता है न कि पूरे विक्रय पर।



राज्य सरकार-विक्रय कर

उदाहरण 1. वैट ने इस दोष को कर क्रेडिट प्रणाली से बाहर किया।

Particulars	Manufacture M	Manufacture N	Manufacture O
Purchase	—	100	140
Value Added	100	40	35
Total	100	140	175
Tax	10	14	17.5
Total	110	154	192.50

सारणी स्पष्टीकरण—N ने M से क्रय किया। उसका क्रय मूल्य वैट प्रणाली के अन्तर्गत 100 है, वह 10 का क्रेडिट जो उसने पहले चरण पर दिया है ले सकता है उसका बिल 14 के कर का भुगतान दिखाता है। जबकि वह 10 का क्रेडिट ले सकता है अतः उसने केवल 4 ही सरकार को दिये जो 40 का 10% है जो N द्वारा मूल्य वर्धन हुआ है इसी प्रकार O ने 3.50 (17.50-14) के कर का भुगतान किया है जो 35 के मूल्य वर्धन का 10% है।

मूल्य वर्धित कर समिति द्वारा प्रस्तुति


(PRESENTATION BY EMPOWERED COMMITTEE ON VAT)

सन् 1995 में डॉ. मनमोहन सिंह, केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने सबसे पहले राज्य स्तरीय वैट पर विवेचना के लिए मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाई। 1999 में श्री यशवंत सिन्हा (वित्त मंत्री) द्वारा सभी मुख्यमन्त्रियों की सन्तोषजनक बैठक के बाद तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

12 अगस्त, 2004 को सभी राज्यों के वित्त मन्त्रियों के साथ रखी गयी बैठक में एक समिति का गठन किया गया जिसमें डॉ. आसीम दास गुप्ता चेयरमैन बनाये गए। यह समिति सोसाइटी की तरह पंजीकृत हुई जो 17 अगस्त, 2004 से प्रभाव में आई।

समिति ने वैट को राज्य स्तर पर लाने के लिए कई सुझाव दिये। महत्वपूर्ण सुझाव दर ढाँचे को सरल बनाने विमुक्तियों को कम करने और पारदर्शिता लाने के थे। समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

समिति के सुझाव



(i) **दर ढाँचे को सरल बनाना**—विभिन्न राज्यों में विभिन्न दरों के स्थान पर चार सामान्य दरों (0, 4, 8, 12) और दो विशेष दरों (1 और 20) के द्वारा दर ढाँचे को सरल बनाया गया।

(ii) **विमुक्तियों को कम करना**—विमुक्तियों को कम करना और केवल विशेष माल को ही विमुक्ति देना।

(iii) **धीरे-धीरे माल पर विमुक्ति को कम करना**—विमुक्त माल की एक सूची बनाई गई और एक लक्ष्य दिनांक निर्धारित किया गया जिसके बाद कोई भी विमुक्ति नहीं दी जा सकती।

(iv) **विक्रय कर विमुक्ति का समापन**—1 अप्रैल, 1997 से विक्रय पर कोई भी नया प्रोत्साहन नहीं आयेगा और न ही पुराना दोबारा से लागू होगा।

(v) **पारदर्शिता**—पारदर्शिता बढ़ाना और

(vi) **वैट को लाने के लिए प्राथमिक कदम**—वैट को प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक कदम यानि करदाता भुगतान शिक्षण प्रोग्राम वैट मॉडल के कानून की तैयारी विक्रय कर प्रशासन को कम्प्यूटराइज करना था।

राज्य वित्त मन्त्रियों की समिति को सशक्त करना—पिछले सात वर्षों से सामाजिक ढाँचा बनाने के लिए सभी राज्य वित्त मन्त्रियों की समिति को मुख्यमन्त्री के सहयोग के साथ सशक्त किया गया जो सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत होगा।

केन्द्रीय सरकार ने अपने पूरे सहयोग का वादा किया और किसी सूत्र की सहमति पर जो भी आय की हानि होगी केन्द्रीय सरकार उसकी भरपाई करेगी।

सशक्त समिति ने केन्द्रीय/संघीय वित्तीय योजना द्वारा प्रयोग किये और बहुत कम समय में वैट को लागू करने से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर सर्वसम्मति बनाई। अधिकतर देशों ने वैट को लागू करने के लिए कई वर्ष लगा दिये। निर्णय करना वैट को राज्यों द्वारा लागू विक्रय कर के स्थान पर लागू करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है यद्यपि कुछ स्थानीय कर जैसे मण्डी, अनुदान, सैस आदि अभी भी हैं। इस वैट अवसर पर सशक्त समिति की प्रशंसा करनी होगी और वैट को प्रस्तुत और लागू करने के लिए राज्य की सफलता की प्रार्थना करनी होगी।

डॉ. विजय कैलकर समिति की रिपोर्ट—डॉ. कैलकर ने एक अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी जो 2002 वर्ष में केन्द्रीय वित्त मन्त्री को सुझाव देती है।

डॉ. विजय कैलकर ने राज्य स्तरीय वैट के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये— (अ) क्रेडिट ड्यूटी को अनुमति वैट माल के इन्टर स्टेट के विक्रय के मामले में वैट योजना में राज्य को भुगतान किये गये कर का राज्य द्वारा क्रेडिट देना चाहिए।

*image
not
available*